रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2000/चैत्र 30, 1922
No. 275] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2000/CHAITRA 30, 1922

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2000

का. आ. 394 (अ).—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर० आर० के० त्रिवेदी की अध्यक्षता में
विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण
नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा (एन०एल०एफ०टी०)
के मामले में अधिकरण की रिपोर्ट
रिपोर्ट

भारत के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 3.10.1999 को नई दिल्ली में प्रकाशित गृह मंत्रालय की अधिसूचना के द्वारा केन्द्र सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (संख्या 37/67) (जिसे अबसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 3 की उपधारा-I द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा (जिसे अबसे एन0एल0एफ0टी0 कहा जाएगा) को विधिविरूद्ध संगम घोषित किया था । उक्त अधिसूचना का मूल पाठ निम्न प्रकार है :-

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 1999

का० आ० 1003 (अ).— यतः नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा (अब से इन्हें एन0एल0एफ0टी0 के रूप में जाना जाए) का स्पष्ट लक्ष्य अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के सहयोग और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से त्रिपुरा को भारत से अलग करके स्वतंत्र 'बोरोक्लैण्ड त्विपरा' की स्थापना करना तथा अलगाव के लिए त्रिपुरा के स्थानीय लोगों को भड़काना है, जिससे त्रिपुरा को भारत से अलग किया जा सके ।

और यतः केन्द्र सरकार का मत है कि एन0एल0एफ0टी0 :-

(i) अपने लक्ष्य के अनुसरण में विद्रोही तथा हिंसक गतिविधियों में लिप्त है एवं इस प्रकार उसने सरकार के प्राधिकार को क्षति पहुंचाई है तथा लोगों में डर व आतंक फैलाया है,

(ii) नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (एन0एस0सी0एन0) (आई0एम0) के इसाक स्व गुट जैसे अन्य विधि विरूद्ध संगमों के साथ संपर्क बनाए हैं जिसका लक्ष्य उनका समर्थन हासिल करना है,

(iii) हाल के पिछले कुछ समय में अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई हिंसक तथा विधि विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त रही है जो कि भारत की प्रभुसत्ता तथा एकता के लिए हानिकर है ।

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि हिंसक एवं विधि विरूद्ध गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल है:-

(क) नागरिकों तथा पुलिस एवं सुरक्षा बलों के कार्मिकों की हत्या,

(ख) त्रिपुरा में व्यवसायियों एवं व्यापारियों सहित जनता से जबरन धन ऐंठना,

(ग) असमाजिक एवं अवैध माध्यमों से भारी मात्रा में परिष्कृत शस्त्र व गोलाबारूद जुटाना तथा उन्हें गुप्त रूप से पड़ोसी देश के माध्यम से भारत में लाना,

(घ) सुरक्षित आश्रय, प्रशिक्षण, शस्त्र व गोलाबारूद आदि जुटाने के प्रयोजन के लिए पड़ोसी देश में शिविर स्थापित करना तथा उन्हें बनाए रखना,

(ङ) त्रिपुरा में जनजातीय एवं गैर जनजातीय समुदायों के बीच साम्प्रदायिक संघर्ष उत्पन्न करने एवं उनमें वृद्धि करने के लिए अन्य त्रिपुरा जनजातीय संगठनों के साथ संबंध स्थापित करना और उन्हें बनाए रखना ।

और यतः केन्द्र सरकार का मत है कि एन0एल0एफ0टी0 की उपरोक्त गतिविधियां भारत की प्रभुसत्ता एवं अखण्डता विरोधी हैं तथा यह एक विधि विरूद्ध संगम है,

अतः अब विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा (एन0एल0एफ0टी0) को एक विधि विरूद्ध संगम घोषित करती है ।

और यतः केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि यदि इस पर तत्काल नियंत्रण न किया गया तो एन0एल0एफ0टी0 को अवसर मिलेगा कि वह :-

(i) अपने कॉडर की अलगाववादी, विद्रोही, आतंकवादी/हिंसक गतिविधियां बढ़ाएगी,

(ii) भारत की प्रभुसत्ता एवं राष्ट्रीय अखण्डता के विरूद्ध शक्तियों के साथ सहयोग करके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का प्रचार करेगी,

(iii) नागरिकों तथा पुलिस व सुरक्षा बलों के कार्मिकों की हत्याओं में वृद्धि में लिप्त हो जाएगी,

(iv) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से और अधिक गैर कानूनी हथियार एवं गोलाबारूद प्राप्त करने तथा जुटाने में लिप्त हो जाएगी,

(v) गतिविधियों के लिए जनता से बड़ी राशि इकट्ठा करने तथा जबरन धन ऐंठने में लिप्त हो जाएगी।

और यतः उपरोक्त परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार की पक्की राय है कि एन0एल0एफ0टी0 को तत्काल प्रभाव से एक विधि विरूद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार उक्त खण्ड-3 की उपधारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत किए जाने वाले किसी भी अध्यादेश के अध्यधीन, यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

उक्त अधिसूचना के पश्चात, भारत सरकार ने यह न्याय निर्णय, करने के लिए कि क्या भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 3.10.1999 की अधिसूचना के द्वारा एन0एल0एफ0टी0 को विधि विरूद्ध संगम घोषित किए जाने का पर्याप्त कारण है अथवा नहीं, इस अधिकरण का गठन करते हुए अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 के तहत दिनांक 28.10.99 को एक अधिसूचना जारी की । अधिनियम की धारा-5 (1) के तहत जारी की गई दिनांक 28.10.99 की उक्त अधिसूचना निम्न प्रकार है :-

गृह मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1999

का० आ० 1056 (अ).— विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की उपधारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, इस बात का न्याय-निर्णय करने के प्रयोजनार्थ कि आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा को विधि विरूद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री आर0आर0के0 त्रिवेदी की अध्यक्षता में 'विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण' का गठन करती है ।

[फा० सं० 9/14/99-एन०ई०-II]
जी० के० पिल्लै, संयुक्त सचिव

इस अधिकरण का गठन होने के साथ एन0एल0एफ0टी0 के उद्दश्यों एवं लक्ष्यों से संबंधित सार भी इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे त्रिपुरा राज्य में विद्रोह के संक्षिप्त इतिहास तथा इसकी उत्पत्ति के बारे में पता चलता है । यह भी बताया गया है कि पिछले 18 वर्ष से त्रिपुरा विद्रोह का सामना कर रहा है । यद्यपि लगभग 20 सशस्त्र जन्जातीय संगठनों की शिनाख्त की गई है, लेकिन उनमें से केवल 2

ए0टी0टी0एफ0 तथा एन0एल0एफ0टी0 अधिकांश हत्याओं के लिए जिम्मेदार है तथा इन्होंने ही अपने आर्थिक लाभ के लिए केवल हत्याओं, लूटपाट, जबरन धन वसूली, अपहरण जैसी मुख्य गतिविधियों को अपना लिया है । लगभग समस्त त्रिपुरा जनजातीय स्वायत जिला परिषद् (टी0टी0ए0डी0सी0) क्षेत्र, जहां घने जंगल हैं तथा जहां पर जनजातीय लोगों का आधिपत्य है, जनजातीय उग्रवादियों/शरारती तत्वों द्वारा की जाने वाली हिंसा से प्रभावित है । हिंसा का निशाना मुख्यतः गैर-जनजातीय लोगों को बनाया जाता है । टी0टी0ए0डी0सी0 से बाहर के क्षेत्र, जहां गैर-जनजातीय (बंगाली) लोगों का बाहुल्य है, बहुत कम प्रभावित है।

यद्यपि उक्त दो उग्रवादी संगठनों द्वारा की जाने वाली कुल हिंसा में 1993 से काफी तेजी आई थी । तथापि 1996 में इसमें कमी आई । इन दो आतंकवादी संगठनों द्वारा की जाने वाली हिंसा में 1997 के दौरान काफी वृद्धि हुई, हालांकि अन्य जनजातीय उग्रवादियों द्वारा की जाने वाली हिंसा की घटनाओं में कमी आई । यद्यपि, त्रिपुरा सरकार ने अधिकतर क्षेत्रों को अशान्त क्षेत्र घोषित कर दिया है । फिर भी ए0टी0टी0एफ0 तथा एन0एल0एफ0टी0 द्वारा की गई हिंसा का स्तर काफी ऊंचा रहा तथा यह चिंता का विषय बन गया । ए0टी0टी0एफ0 तथा एन0एल0एफ0टी0 दो मुख्य संगठित आतंकवादी संगठन हैं, जिनमें ए0टी0टी0एफ0 'जनजातीय भू-भाग' के लिए पृथक राज्य की मांग कर रहा है तथा एन0एल0एफ0टी0 अभी भी त्रिपुरा को स्वतंत्र करने का समर्थन कर रहा है । एन0एल0एफ0टी0, जिसका गठन 1989 में हुआ था, का नेतृत्व बिस्व मोहन देबरमा कर रहा है तथा इसके लगभग 200 दुर्दान्त सशस्त्र काडर हैं । इसके प्रभाव वाले क्षेत्रों में संपूर्ण धलाई जिला तथा पश्चिम त्रिपुरा जिले के कल्याणपुर; तकारजला पुलिस थाने के क्षेत्र; उत्तरी त्रिपुरा जिले के कंचनपुर तथा वाघमन, पुलिस थाने के क्षेत्र तथा दक्षिणत्रिपुरा जिले के बीरगंज, टायडू, नूतन बाजार, शांतिर बाजार तथा ओम्पी पुलिस थाने के क्षेत्र शामिल हैं । त्रिपुरा में 19 पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को फरवरी, 1997 में अशान्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया था तथा तत्पश्चात् और कोई क्षेत्र एन0एल0एफ0टी0 की गतिविधियों से प्रभावित नहीं थे । बल्कि यह संगठन ऐसे क्षेत्रों में अपना शिकंजा कसने में सफल रहा जहां यह सक्रिय है तथा त्रिपुरा में मुख्य आतंकवादी संगठन के रूप में उभरा है ।

एन0एल0एफ0टी0 के बंगलादेश में प्रशिक्षण शिविर/छिपने के अड्डे हैं तथा यह हिंसा की प्रमुख वारदातों में शामिल होने के बाद शरण लेने के लिए बंगलादेश के भू-भाग का प्रयोग कर रहा है । इनमें से अधिकांश घटनाओं की योजना बंगलादेश में तैयार की जाती है तथा वहीं से कार्यान्वित की जाती है । इन्होंने बड़ी संख्या में परिष्कृत हथियार हासिल कर लिए हैं तथा यह पता चला है कि ये पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोही संगठनों से संपर्क बनाए हुए हैं । हाल की रिपोर्टों से एन0एल0एफ0टी0 तथा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड के बीच त्रिपुरा में उनकी कार्रवाईयों के बारे में सांठगांठ का पता चला है । इस जनजातीय संगठन ने पुलिस/सुरक्षा बलों तथा निर्दोष गैर जनजातीय लोगों पर हमला करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई है ताकि उन्हें त्रिपुरा छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके । इन आतंकवादियों द्वारा पीड़ित अधिकांश व्यक्ति गैर जनजातीय हैं तथा विशेष रूप से बंगाली हैं । इससे राज्य में जनजातीय एवं गैर जनजातीय लोगों के बीच काफी दरार पैदा हो गई है जिसके परिणामस्वरूप व्यर्थ की जातीय स्थिति पैदा हो गई है जिससे मामूली से भड़काने पर जातीय संघर्ष बढ़ जाते हैं ।

एन0एल0एफ0टी0 को 3.4.1997 की अधिसूचना द्वारा पहली बार अधिनियम के तहत विधि विरूद्ध संगम घोषित किया गया था । तथापि, इस संगठन ने अपनी विद्रोही गतिविधियां जारी रखी जिससे त्रिपुरा में सुरक्षा की गंभीर चिंता पैदा हो गई । एन0एल0एफ0टी0 ने अवैध कर वसूलियों, जबरन धन वसूली तथा फिरौती के लिए अपहरण के द्वारा बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा करने के अपने प्रयासों को जारी रखा । शस्त्र जुटाने के कार्य को भी जारी रखा गया है । दिनांक 3.10.99 की नई अधिसूचना, जो कि इस अधिकरण के न्याय निर्णय की विषय वस्तु है, का औचित्य निम्न कारणों से है :-

(I) भारत संघ से त्रिपुरा को अलग करने की नीति के समर्थन को जारी रखना ।

(II) भारत की संप्रभुता एवं अखण्डता के लिए अहितकर गतिविधियों में सतत रूप से भाग लेना ।

(III) अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के साधनों के रूप में सशस्त्र कार्रवाई के माध्यम से हिंसा एवं आतंकवाद को अपनाना ।

(IV) व्यवसायियों, व्यापारियों तथा सरकारी कर्मचारियों सहित जनता से बड़ी मात्रा में जबरन धन वसूली तथा अवैध कर वसूली ।

(V) पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोही संगठनों के साथ संपर्क तथा उनका समर्थन । जबकि एन0एल0एफ0टी0 ने [एन0एस0सी0एन0 (आई0/एम0)] के इसाक मुइवा गुट के साथ संपर्क बना लिए हैं ।

(VI) पड़ोसी बंगलादेश में शरणस्थलों, सुरक्षित आश्रयों एवं प्रशिक्षण शिविरों का निरन्तर रखरखाव ।

(VII) गुप्त तरीकों से अथवा विभिन्न सुरक्षा बलों से छीनकर भारी मात्रा में परिष्कृत शस्त्र एवं गोलाबारूद जुटाना ।

(VIII) त्रिपुरा को भारत संघ से अलग करने के अपने अंतिम उद्देश्य के लिए समर्थन जुटाने हेतु विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक अपनी पहुंच बनाने तथा उनका उपयोग करने के इरादे से बिना प्रतिनिधित्व वाले राष्ट्रों तथा जन संगठनों की सदस्यता प्राप्त करने के प्रयास ।

इस सार में तत्काल अधिसूचना की आवश्यकता के कारणों का भी उल्लेख किया गया है । यह बताया गया है कि यदि पूर्व अधिसूचना के व्यपगत होने तथा नई अधिसूचना जारी होने के बीच कोई अंतराल हुआ तो यह संगम इस स्थिति का अनुचित लाभ उठा सकता है तथा अलगाववादी, विध्वंसक एवं 'आतंकवादी/हिंसक गतिविधियों में वृद्धि करने के लिए अपने काडरों को सक्रिय बना सकते हैं । इससे इस संगठन के नेतृत्व को

भारत की सुरक्षा के लिए अहितकर विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर खुले रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का प्रचार करने का भी मौका मिल सकता है । ऐसी स्थिति में पुलिस तथा सुरक्षा बलों द्वारा पकड़े गए व्यक्तियों को बंद करना तथा उन पर अभियोग चलाना उनके लिए कठिन होगा । अतः इस अधिसूचना को सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी बनाना आवश्यक समझा गया ।

विद्वान अपर सचिव श्री पी0डी0 शिनॉय की सुनवाई से संतुष्ट होने तथा इस सार एवं प्रस्तुत की गई अन्य सामग्री का अवलोकन करने के तत्काल बाद दिनांक 12.11.1999 के आदेश के तहत प्रतिबंधित संगम एन0एल0एफ0टी0 के लिए अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित तरीके से नोटिस जारी किया गया । इसके अतिरिक्त इस नोटिस की सूचना जिलों एवं तहसीलों के मुख्यालयों में प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट तथा तहसीलदार के कार्यालय में इसे चिपका कर भी दी जानी थी । इस नोटिस की सूचना को प्रकाशन के द्वारा, चिपका कर, तथा रेडियो पर प्रसारण द्वारा देने का भी निदेश दिया गया था । नोटिस में यह भी व्यवस्था की गई कि पक्षकार, अधिकरण के रजिस्ट्रार को इलाहाबाद में उसके पते पर अपने लिखित विवरणों/आपत्तियों, उनके समर्थन में किसी सामग्री, यदि कोई हो, सहित पंजीकृत डाक से भेज सकते हैं ।

अधिकरण ने 7.1.2000 को इलाहाबाद में अपनी बैठक की । इस तारीख को शपथ पत्र दायर किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि दिनांक 12.11.99 के आदेश के अनुसरण में नोटिसों को अपेक्षानुसार व्यापक तौर पर प्रकाशित किया गया था । पक्षकारों के वकील को सुनने के बाद तथा शपथ पत्र तथा उसके साथ जुड़ी सामग्री का अवलोकन करने के बाद यह नोटिस भेजना पर्याप्त पाया गया । तत्पश्चात, पक्षकारों को तीन सप्ताह के भीतर अपने तर्कों के समर्थन में अपने शपथ-पत्र तथा अन्य सामग्री प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया ।

तत्पश्चात् अधिकरण ने 4.2.2000 को इलाहाबाद में अपनी बैठक की । त्रिपुरा सरकार के विद्वान वकील श्री मधुर प्रकाश ने श्री बरुण कुमार साहू का शपथ-पत्र दायर किया । भारत संघ की तरफ से विद्वान वकील श्री एस0सी0 मिश्रा ने अजय श्रीवास्तव, उप सचिव (पूर्वोत्तर) भारत सरकार का शपथ पत्र दायर किया। तत्पश्चात अधिकरण ने इस मामले को त्रिपुरा राज्य में अगरतला में 6.3.2000 को अपराह्न 10.30 बजे सुनवाई एवं साक्ष्य रिकार्ड करने के लिए निर्धारित कर दिया । सुनवाई की तारीख की सूचना नियमानुसार समाचार पत्र, चिपकाकर तथा रेडियो पर प्रसारण द्वारा दी जानी थी ।

दिनांक 6.3.2000 को अधिकरण ने अगरतला में सुनवाई की । त्रिपुरा सरकार के गृह विभाग में अवर सचिव श्री बी0सी0 भौमिक ने इस आशय का शपथपत्र दिया कि अधिकरण के 4.2.2000 के आदेश के अनुसरण में चार स्थानीय समाचार पत्रों में सुनवाई की तारीख प्रकाशित की गई थी, शपथ-पत्र के साथ समाचार पत्रों की फोटोप्रतियां प्रस्तुत की गईं । शपथपत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि जिला मजिस्ट्रेट ने इस बात का व्यापक प्रचार किया था कि अगरतला में 6.3.2000 को सुबह 10.30 बजे अधिकरण द्वारा सुनवाई की जाएगी।

6.3.2000 को सुबह 10.30 बजे अधिकरण की कार्यवाही शुरू हुई । त्रिपुरा राज्य की ओर से श्री मधुर प्रकाश अधिवक्ता के रूप में पेश हुए और भारत संघ की ओर से श्री एस0सी0 मिश्रा पेश हुए । प्रतिबंधित संगठन एन0एल0एफ0टी0 की ओर से कोई व्यक्ति पेश नहीं हुआ । कुल सात गवाहों से पूछताछ की गई । शेष गवाहों को छोड़ दिया गया गवाहों ने शपथपूर्वक जो बयान दिए, वे निम्नवत हैं:-

(i) अभियोग गवाह-1, श्यामसुंदर चतुर्वेदी विशेष शाखा, त्रिपुरा में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हैं । उन्होंने शपथपूर्वक कहा है कि वे अपने रोजमर्रा के कार्यों में एन0एल0एफ0टी0 की गतिविधियों के बारे में आसूचना एकत्र करते थे । उन्होंने किसी शिकानिया कोलोई से भी पूछताछ की जो एन0एल0एफ0टी0 का दुर्दान्त आतंकवादी है और जिसे 1999 में मिजोरम पुलिस ने पकड़ा था । पूछताछ के दौरान उसने अन्य उग्रवादियों के नाम तथा एन0एल0एफ0टी0 के संगठनात्मक ढांचे तथा एन0एल0एफ0टी0 द्वारा की गई बड़ी वारदातों के बारे में बताया । उनका ध्येय भारत से त्रिपुरा को पृथक करना है । पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि एन0एल0एफ0टी0 के पूर्वोत्तर राज्यों के दूसरे उग्रवादियों, पाकिस्तान की आई0एस0आई0 और बंगलादेश आर्मी के साथ भी संबंध हैं । पूछताछ के दौरान दस्तावेजों अर्थात् एन0एल0एफ0टी0 का संविधान घोषणा पत्र और चन्दा वसूली संबंधी नोटिसों को जब्त कर लिया गया । उन्होंने बताया है कि अक्तूबर, 1999 से पूर्व एन0एल0एफ0टी0 ने सुरक्षा बलों पर छिप कर हमला करने, नागरिकों की हत्या और अपहरण करने जैसे कार्य किए हैं । चंदे का संग्रह करने का काम अभी भी जारी है । विशालगढ़ सैंट्रीग्रेड (विशालगढ़ का मोटर सिंडीकेट) को भेजा गया चन्दा वसूली संबंधी नोटिस रिकार्ड में है जिसमें विभिन्न प्रकार के वाहन मालिकों से विभिन्न दरों पर चंदे का भुगतान करने के लिए कहा गया था ।

(ii) अभियोग गवाह-2, मनोज कुमार जनवरी, 1999 से पश्चिमी त्रिपुरा में जिला मजिस्ट्रेट है । उनका कहना है कि उनकी तैनाती के दौरान एन0एल0एफ0टी0 द्वारा की गई अनेक वारदातें उनके सामने आईं और उन्होंने इस उग्रवादी संगठन के विभिन्न कार्यकलापों के बारे में सूचना एकत्र की, उनका कहना है कि एन0एल0एफ0टी0 पृथकवादी एवं विध्वंसक कार्यकलापों में संलिप्त है । यह राष्ट्र की संप्रभुता की मात्रा पर भी प्रश्न उठा रहा है । यह पृथकतावादी विचारधारा रखता है जो इसके संविधान में निहित इसके ध्येयों और उद्देश्यों तथा घोषणा पत्र एवं अन्य दस्तावेजों से स्पष्ट है । यह भारत के संविधान और विधिसम्मत सरकार को मान्यता नहीं देता है । इसका पृथक संविधान और समान्तर प्रशासनिक ढांचा है । यह स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय त्यौहारों का बहिष्कार करता है । इसने संसदीय चुनावों में भी व्यवधान डालने का प्रयास किया । 20 अगस्त, 1999 को जामपाउइजाला के खंड विकास अधिकारी पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया था । गवाह ने यह भी बताया कि 28 जनवरी, 2000 को एन0एल0एफ0टी0 के लोगों ने सर्किल इंस्पेक्टर पर हमला किया था । 24 दिसम्बर, 1999 को उन्होंने लक्ष्मणदेफा नामक स्थान पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर तीन व्यक्तियों को मार गिराया, पांच को घायल किया और पांच का अपहरण किया । तत्पश्चात, जनजातीय

लोगों के कई घरों को प्रतिक्रियास्वरूप तहस-नहस किया गया । अभी भी सांप्रदायिक तनाव के कारण उस क्षेत्र में 60 से अधिक परिवार नहीं रह रहे हैं । विगत पांच वर्षों में उग्रवादी गुटों, जो एक पृथक होमलैण्ड बनाना चाहते हैं, के कार्यकलापों के कारण लगभग 6000 परिवारों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया गया है । उनके कार्यकलापों के तौर-तरीकों से पता चला है कि वे सुरक्षा बलों पर हमला करने, शस्त्र और गोला-बारूद लूटने के कार्य करते रहे हैं तथा महिलाओं और बच्चों समेत नागरिकों को अपनी मूर्खतापूर्ण हिंसा का शिकार बनाने में संलिप्त रहे हैं । उन्होंने जबरदस्ती चंदा वसूल करके धन इकट्ठा किया और उस धन को अत्याधुनिक शस्त्र और गोला बारूद खरीदने में इस्तेमाल किया ।

(iii) अभियोग गवाह 3, श्री पुनीत रस्तोगी, अपर पुलिस अधीक्षक (शहरी), पश्चिमी त्रिपुरा ने बताया कि वे दिनांक 22.4.99 से पश्चिमी त्रिपुरा जिले में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं । यहां 15 पुलिस थाने हैं जिनमें से सात पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, जिनमें से पांच पुलिस थानों में एन0एल0एफ0टी0 उग्रवादियों की भारी आवा-जाही देखी जा सकती है । वर्ष 1998 के दौरान, एन0एल0एफ0टी0 द्वारा 64 उग्रवादी वारदातें की गई जिनमें से 20 वारदातें हत्या की और 31 अपहरण की थी । 1999 में भी इस आतंकवादी संगठन ने 77 आपराधिक वारदातें की जिसमें से 20 हत्या की और 44 अपहरण की वारदातें थी । गवाह ने यह भी बताया है कि 2.2.1999 को 15/20 सशस्त्र एन0एल0एफ0टी0 उग्रवादियों ने कंचनमाला मार्किट पर धावा बोला और चार व्यक्तियों को मार दिया और तीन व्यक्तियों को घायल कर दिया । 17.4.99 को एन0एल0एफ0टी0 ने तेलियामूरा पुलिस थाने के अंतर्गत सतीश पारा पर धावा बोला और दो आदिवासियों की हत्या कर दी और अन्य दो को घायल कर दिया । 3.6.1999 को एन0एल0एफ0टी0 उग्रवादियों ने तकारजला पुलिस थाने के अंतर्गत उदयजमादार पारा से पांच व्यक्तियों का अपहरण कर लिया । 11.8.99 को एन0एल0एफ0टी0 उग्रवादियों ने एक डी0ए0आर0 कांस्टेबल की हत्या कर दी । इन वारदातों से देखा जा सकता है कि उनका निशाना केवल नागरिक ही नहीं बल्कि पुलिस कार्मिक भी हैं । उनका लक्ष्य त्रिपुरा को भारत से अलग करना है । इसे प्राप्त करने के लिए वे नवीनतम हथियार प्राप्त करके नागरिकों और सुरक्षा बलों की हत्या कर रहे हैं । वे अपहृत व्यक्तियों के लिए फिरौती मांगकर धन इकट्ठा कर रहे हैं और आम जनता से भी अंशदान ले रहे हैं । इस प्रकार प्राप्त राशि से हथियार प्राप्त किए जाते हैं । उपर्युक्त गतिविधियों के अलावा वे एन0एल0एफ0टी0 के नेतृत्व में त्रिपुरा सरकार के नाम पर नोटिस जारी करके अशंदान इकट्ठा कर रहे हैं । वे समानांतर सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं।

(iv) अभियोग गवाह-4 मणिक लाल मजूमदार को त्रिपुरा, अगरतला में अपर पुलिस अधीक्षक (सी0आई0डी0) तैनात किया गया है । सी0आई0डी0 अधिकारी के अधिकार से उन्होंने पुलिस थाना पूर्वी अगरतला में पंजीकृत मामला सं0 37/1998 की जांच-पड़ताल की । जांच पड़ताल के दौरान उन्होंने सबूत इकट्ठे किए जैसे कि एन0एल0एफ0टी0 का संविधान, एन0एल0एफ0टी0

द्वारा जारी किए गए एक्सटोर्शन नोटिस, एन0एल0एफ0टी0 की धनराशि प्राप्त करने की रसीदें इत्यादि । इस गवाह ने यह भी बताया है कि सबूत और जांच रिपोर्ट तथा पारिस्थितिक सबूत से यह पता चलता है कि एन0एल0एफ0टी0 संगठन त्रिपुरा को भारतीय संघ से अलग करने का प्रयास कर रहा है और वे भारत की प्रभुसत्ता और एकता को चुनौती दे रहे हैं । उन्होंने बंगलादेश में 9 माइल लालू कालू आदि में शिविर स्थापित किए हैं और बंगलादेश की सेना तथा पूर्वोत्तर के अन्य उग्रवादी संगठनों से समर्थन प्राप्त कर रहे हैं ।

(v) अभियोग गवाह-5, बी0के0 नाग (विजय कुमार नाग) को तेलियामूरा/खोबई, पश्चिम त्रिपुरा में उप पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है । उसके नियंत्रण में दो पुलिस थाने हैं जिनमें से तेलियामूरा और कल्याणपुर नामक दो पुलिस थाने एन0एल0एफ0टी0 उग्रवादियों से प्रभावित है। 1999 में, कुल 46 उग्रवादी वारदातें हुई जिसमें से 17 हत्या के मामले थे, 19 अपहरण के तथा 10 सुरक्षा बलों पर हमले के मामले थे । 1.3.99 को यह सूचना मिलने पर कि एन0एल0एफ0टी0 ग्रुप पंचबती में सक्रिय है, असम राईफल्स के ट्रूप वहां गए । खोजबीन करने के बाद जब वे अपने शिविर की ओर लौट रहे थे तो एन0एल0एफ0टी0 ने उन पर हमला कर दिया जिसके फलस्वरूप एक जवान की मृत्यु हो गई । 17.4.99 को एन0एल0एफ0टी0 ग्रुप ने एक आदिवासी गांव साउथ गाकुलनगर पर हमला कर दिया और तीन आदिवासी व्यक्तियों को इस आधार पर मार दिया क्योंकि उन्होंने अंशदान देने से मना कर दिया था । 2 अक्तूबर, 1999 को अंतिम संसदीय चुनावों के संबंध में दुर्गाधिन बाड़ी एस0बी0 स्कूल में तैनात त्रिपुरा स्टेट राइफल सेक्शन पर एन0एल0एफ0टी0 ने हमला कर दिया जिसमें एक टी0एस0आर0 जवान सहित चार व्यक्ति मारे गए । गवाह ने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान उसने जायजा लिया और देखा कि एन0एल0एफ0टी0 ग्रुप समानांतर सरकार को जारी रखने का प्रयास कर रहा है और इस कारण वे विघटनकारी कार्यकलाप कर रहे हैं ।

(vi) अभियोग गवाह-6 - श्री दुर्गेश मजूमदार को पुलिस निरीक्षक (सी0आई0डी0), अगरतला तैनात किया गया है । इस गवाह ने अपने बयान में अनेक वारदातों के बारे में बताया है जिनमें 31.3.1998 को त्रिपुरा के स्वास्थ्य मंत्री बिमल सिन्हा और उनके भाई की हत्या करना भी शामिल है । इस मामले की जांच पड़ताल इस गवाह द्वारा की गई थी । जांच पड़ताल के दौरान उसे पता लगा कि इसके पीछे एन0एल0एफ0टी0 का गहरा और सनियोजित षड़यंत्र था जो विधिपूर्वक स्थापित सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है । मिजोरम पुलिस ने एक चिकानिया कालाई उर्फ एस0के0 अबेल तथा एक बंगलादेशी राष्ट्रिक लाल जाजोबा को गिरफ्तार किया है जब वे आईजोल में हथियार और गोला-बारूद खरीदने गए थे । उनके कब्जे से तीन नवीनतम हथियार बरामद किए गए । जांच पड़ताल के दौरान चिकानिया कालाई उर्फ एस0के0 अबेल ने बताया कि उनका बंगलादेश में लालू कालू में एक शिविर है । एन0एल0एफ0टी0 की गतिविधियों में आम जनता को आतंकित करके त्रिपुरा को भारतीय भू-भाग से अलग करना था ।

(vii) अभियोग गवाह-7 - श्री राजेन्द्र दत्ता को त्रिपुरा के जिरानिया पुलिस स्टेशन, में बतौर पुलिस सब-इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है । उन्होंने बताया है कि वे 26.5.1999 से प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं । पूरा क्षेत्र जो इस पुलिस थाने की अधिकारिता में है, अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है । उनकी कार्य अवधि के दौरान एन0एल0एफ0टी0 उग्रवादियों ने हत्या और अपहरण जैसे जघन्य अपराध किए । 7.11.99 को जब जनजातीय और गैर जनजातीय दोनों समाजों के लोग दीवाली के त्यौहार का आनन्द उठा रहे थे तब एन0एल0एफ0टी0 उग्रवादियों ने जिरानिया मार्केट के समीपस्थ वैद्यठाकुरपारा से 3 जनजातीय लोगों को अपहृत कर लिया जिसके परिणामस्वरूप भयंकर सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन गया । एक अन्य घटना में एन0एल0एफ0टी0 उग्रवादियों ने बलरामठाकुरपारा में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दिनांक 25.1.2000 को दो जनजातीय लोगों को मार गिराया । एन0एल0एफ0टी0 उग्रवादियों ने गांव वालों को चंदा वसूली के नोटिस भेजे और वे चंदे का संग्रह कर रहे थे । एन0एल0एफ0टी0 का ध्येय एवं उद्देश्य विधिविरूद्ध कार्यकलापों के जरिए भारतीय भू-भाग से त्रिपुरा को पृथक करना है।

उपरोक्त सातों गवाहों के बयानों के अवलोकन से और प्रस्तुत हलफनामों के अवलोकन से तथा एन0एल0एफ0टी0 के संविधान एवं चंदा वसूली के नोटिसों तथा अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से ऐसा लगता है कि एन0एल0एफ0टी0 का उद्देश्य बोरोकलैण्ड त्विप्रा को मुक्ति दिलाने के बाद त्विप्रा की बोरोक सभ्यता की स्वतंत्र पहचान बनाना है । रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री, विशेषकर एन0एल0एफ0टी0 के संविधान से स्पष्ट है कि एन0एल0एफ0टी0 के मुखिया बिश्वा मोहन देबेरमा हैं । इसकी सक्रियता के क्षेत्रों में पश्चिमी त्रिपुरा, धलाई, उत्तरी और दक्षिणी त्रिपुरा जिले शामिल हैं । उनके पास अत्याधुनिक आग्नेयास्त्र हैं जो उन्होंने अवैध स्त्रोतों से प्राप्त किए हैं । रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री से यह भी सिद्ध हो गया है कि एन0एल0एफ0टी0 अपने सदस्यों को अलगाववादी, विध्वंसकारी और हिंसक कार्यकलापों के लिए लामबंद कर रहा है । वे भारत की संप्रभुत्ता और राष्ट्रीय अखंडता को हानि पहुंचाने वाली ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी संलिप्त हैं । यह संगठन नागरिकों की हत्याओं, लूटपाट और जबरदस्ती छीना-झपटी करने तथा अन्य आपराधिक कार्यों में संलिप्त है और इस प्रकार यह कानून विहीनता का माहौल बनाने के लिए प्रयासरत है ।

अधिनियम की धारा 2(ङ) और 2(च) में 'गैर कानूनी गतिविधि' और 'गैर कानूनी संस्था' की परिभाषा निम्न प्रकार की गई है:-

'(I) किसी व्यक्ति अथवा संस्था के संबंध में 'गैर कानूनी गतिविधि' का तात्पर्य किसी व्यक्ति अथवा संगम द्वारा की गई ऐसी किसी कार्रवाई (कोई कार्य करके या शब्दों द्वारा, बोलकर या लिखकर, अथवा संकेत द्वारा या प्रत्यक्ष कथन द्वारा या अन्यथा हो सकता है) से है:-

(i) जिसका उद्देश्य भारत के क्षेत्र के किसी भाग को या संघ से भारत को किसी भी आधार पर पृथक करने के दावे का समर्थन करता है या जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को ऐसे पृथकतावाद या उसे अलग करने के लिए उकसाता है ।

(ii) जो भारत की संघ संप्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता को अस्वीकार करता है उसके बारे में प्रश्न उठाता है, उसे भंग करता है या भंग करने का इरादा रखता है ।

(च) 'गैर कानूनी संगम' का तात्पर्य किसी ऐसी संस्था से है -

(i) जो अपने उद्देश्य के लिए किसी गैर कानूनी गतिविधि में भाग लेता है या जो किसी गैर कानूनी गतिविधि को करने के लिए व्यक्तियों को उकसाता या सहायता प्रदान करता है या जिसके सदस्य ऐसी गतिविधि में भाग लेते हैं ।'

राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के वकील द्वारा दिए गए तर्कों और रिकार्ड किए गए साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि एन0एल0एफ0टी0 अलगाववादी और हिंसक गतिविधियों में संलिप्त हैं और उक्त संस्था ने अन्य गैर कानूनी संस्थाओं के साथ संपर्क स्थापित कर लिए हैं । यह पुनः सिद्ध किया जाता है कि एन0एल0एफ0टी0 आम जनता और पुलिस बलों से संबद्ध कार्मिकों की हत्या करने, त्रिपुरा में जनता और व्यापारियों से धन ऐंठने जैसे कृत्यों का आश्रय ले रही है ताकि गैर कानूनी चैनलों के जरिए शस्त्र व गोला-बारूद प्राप्त करके उन्हें गुप्त रूप से पड़ौसी देश की मार्फत त्रिपुरा भेजा जा सके । उपरोक्त एन0एल0एफ0टी0 का उद्देश्य भारत का विभाजन करके एन0एल0एफ0टी0 नामक स्वायत्त राज्य की स्थापना करना है ।

रिकार्ड पर प्राप्त सामग्री से यह सिद्ध होता है कि यदि एन0एल0एफ0टी0 को उसकी गतिविधियां जारी रखने दी जाती हैं तो वह संस्था विद्रोही और गैर कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा । प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का किसी अन्य सामग्री द्वारा खण्डन नहीं किया गया है और इस बात की दृढ़तापूर्वक पुष्टि की गई है कि एन0एल0एफ0टी0 अनेक हिंसक गतिविधियों में संलिप्त है । वे भारत की एकता और अखण्डता को क्षति पहुंचाना चाहते हैं और यदि उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका जाता है तो गैर कानूनी गतिविधियों में वृद्धि होगी । एन0एल0एफ0टी0 अलगाववाद का समर्थन कर रहा है और अलगाववादी नीतियों को अपना रहा है जो कि गैर कानूनी गतिविधियां हैं जैसी कि अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत परिभाषा की गई है ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन0एल0एफ0टी0) को गैर कानूनी संस्था घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं । इसके फलस्वरूप गैर कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 3 अक्तूबर, 1999 की अधिसूचना के तहत की गई घोषणा की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है ।

दिनांक 25 मार्च, 2000
इलाहाबाद

ह०/-
(आर० आर० के० त्रिवेदी)
अधिकरण
गैर कानूनी गतिविधियां (निवारण)
अधिकरण
इलाहाबाद
[सं० 9/14/99-एन. ई. I]
जी० के० पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2000

S.O. 394(E).—The following is published for general information :—

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL
HEADED BY HON'BLE MR. JUSTICE R.R.K TRIVEDI

IN THE MATTER OF
NATIONAL LIBERATION FRONT OF TRIPURA (NLFT)
REPORT OF THE TRIBUNAL

REPORT

By a notification of Ministry of Home Affairs published at New Delhi on 3-10-1999 in the Gazette of India (Extraordinary) Central Government in exercise of its power conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (Act No. 37/67) (hereinafter referred to as the Act) declared, National Liberation Front of Tripura (hereinafter referred to as NLFT) as unlawful association. The said notification reads as under :—

"MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 1999

S.O. 1003(E).—Whereas the National Liberation Front of Tripura (hereinafter referred to as NLFT) has its professed aim to establish an independent "Borokland Twipra" by liberation of Tripura from India through armed struggle in alliance with other armed secessionist organisations of Tripura and incite indigenous people of Tripura, for secession and thereby the secession of Tripura from India;

And whereas the Central Government is of the opinion that NLFT has—

(i) been engaging in subversive and violent activities, thereby undermining the authority of the Government and spreading terror and violence among the people for achieving its objective;

(ii) established linkages with other unlawful associations, viz., the Isak Swu faction of National Socialist Council of Nagaland [NSCN(I/M)] with the aim of mobilising their support;

(iii) in pursuance of its aim and objective in the recent past, engaged in several violent and unlawful activities which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India;

And whereas the Central Government is also of the opinion that violent and unlawful activities include—

(a) killing of civilians and personnel belonging to the Police and Security Forces;

(b) extortion of funds from the public including business and traders in Tripura;

(c) procuring large number of arms and ammunition, including sophisticated ones, through clandestine/illegal channels and inducting them secretly into Tripura through a neighbouring country;

(d) establishing and maintaining camps in a neighbouring country for the purpose of safe sanctuary, training, procurement of arms and ammunition, etc.,

(e) establishing and maintaining linkages with other Tripura tribal extremist groups for causing and fomenting communal clashes between the tribal and non-tribal communities in Tripura;

And whereas the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the NLFT are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it is an unlawful association;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the National Liberation of Tripura (NLFT) as an unlawful association;

And whereas the Central Government is also of the opinion that if there is no immediate curb and control, the NLFT will take the opportunity to—

(i) mobile its cadres for escalating its secessionist, subversive and terrorist/violent activiies;

(ii) propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;

(iii) indulge in increased killings of civilians and targeting of Police and Security Forces personnel;

(iv) procure and induct more illegal arms and ammunition from across the international border;

(v) extort and collect huge funds from the public for its activities.

And whereas the Central Government, having regard to the above circumstances, is of the firm opinion that it is necessary to declare the NLFT as an unlawful association with immediate effect; and accordingly in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of the said section 3, the Central Government hereby directs that the notification shall, subject to any order that may be made under Section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 9/14/99-NE-I]

G.K. PILLAI, Jt. Secy."

Following the aforesaid notification, Government of India issued a notification dated 28-10-1999 under sub-section (1) of Section 5 of the Act constituting this tribunal for the purposes of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring NLFT unlawful association declared as such by the notification of Government of India in Ministry of Home Affairs dated 3-10-1999. The said notification dated 28-10-1999 issued under Section 5(1) of the Act reads as under :—

"MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 1999

S.O. 1056 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes "The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Shri Justice R.R.K. Trivedi, Judge of Allahabad High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the All Tripura Tiger Force and National Liberation Front of Tripura, and unlawful associations.

[F. No. 9/14/99-NE-I]

G.K. PILLAI, Jt. Secy."

With the constitution of this tribunal a resume on the aims, objectives and activities of NLFT has also been filed before this tribunal which gives brief history and the origin of the insurgency in the State of Tripura. It is also stated that Tripura is facing low key insurgency for the last 18 years. Though around 20 armed tribal groups have been identified on ground, only two of them ATIF and NLFT are responsible for majority of killings and have some ideological mooring with main activities remaining confined to murders, lootings, extortion, abductions etc. for monetary gains. Broadly, the entire Tripura Tribal Autonomous District Council (TTADC) area, having dense jungles and pre-dominated by tribals, is effected by violence perpetrated by tribal extremists/miscreansts. The violence is mostly targeted against non-tribals. Areas falling out side TTADC, predominated by non-tribals (Bengalis), are much less affected.

Though the over all violence perpetrated by the aforesaid two extremist groups had shown a steady increase since 1993, it came down during 1996. The violence by these two terrorist outfits further went up significantly during 1997, though there was decrease in incidents of violence by other tribal militants. Even though the Government of Tripura has declared more areas to be disturbed areas, the level of violence by ATTF and NLFT remained quite high and became a matter of concern. ATTF and NLFT are the two main organised terrorist groups, with the former demanding a separate State of 'tribal land' and the latter still espousing liberation of Tripura. NLFT which was formed in 1989, is led by Biswa Mohan Debberma and has about 200 hard core armed cadres It is known to have areas of influence in whole of Dhalai District; Kalyanpur and Takarjala P.S. areas of West Tripura district Kanchanpur and Vaghman P.S. Areas of North Tripura district and Birganj, Taidu, Nutan Bazar, Shantir Bazar and Ompi P.S. Areas of South Tripura District. Areas covered by 19 police stations in Tripura declared as disturbed area in February, 1997 and more area subsequently, has not in any way affected the activities of NLFT. Rather, the outfit has been able to further

strengthen its hold in areas where it is active and emerged as the major terrorist group in Tripura.

NLFT has training camps/hide outs in Bangladesh and has been using Bangladesh territory for taking shelter after indulging in major incidents of violence. Most of these incidents have been planned in and executed from Bangladesh soil. They have acquired sizeable number of sophisticated weapons and are known to be maintaining close links with other North-East insurgent groups. Recent reports indicate a growing nexus between NLFT and National Socialist Council of Nagaland [NSCN (I/M)] in their operations in Tripura. This tribal outfit has shown little hesitation in attacking Police/Security Forces and innocent non-tribals with a view to forcing them to leave Tripura. Most of the victims of the terrorists are non-tribals, particularly Bengalis. This has caused wide schism between tribals and non-tribals in the State leading a volatile ethnic situation, which gives rise to ethnic clashes on slightest provocation.

The NLFT was first declared as Unlawful Association under the Act by a notification on 3-4-1997. However, this organisation continued its insurgent activities causing serious security concern in Tripura. The NLFT continued its effort to massive mobilization of funds by unlawful tax collections, extortion and even kidnapping/abduction for ransom. Procurement of arms has also been continued. The justification for fresh notification dated 3-10-1999, which is subject matter of adjudication of this tribunal is for the following reasons:—

(I) Continued espousal of the policy of secession of Tripura from the Indian Union.

(II) Continued engagement in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India.

(III) Continued adoption of violence and terror through armed action as means for achieving their objective.

(IV) High levels of extortions and illegal tax collections from the public including businessmen, traders and even Government employees.

(V) Links and support to other North-East insurgent groups. While NLFT has developed links with Isak-Muivah faction of the [NSCN(I/M)]

(VI) Continued maintenance of sanctuaries, safe havens and training camps in neighbouring Bangladesh.

(VII) Procurement of large number of sophisticated arms and ammunition through clandestine channels or by snatching from various security forces.

(VIII) Attempts to gain membership of the unrepresented Nations and Peoples Organisation with the intention to access and utilise the various international fora for mobilising support towards their ultimate objective of separating Tripura from the Indian Union.

In the resume reasons for necessitating immediate notification have also been indicated. It has been stated that if there is any gap between lapse of earlier notification and issue of fresh notification, this association may take undue advantage of the situation and mobilise their cadre for escalating secessionist, subversive and terrorist/violent activities. It any also provide an opportunity to the leadership of this organisation to openly propagate anti-national activities in collusion with foreign powers inimical to India's security concern. The police and the security forces in such eventuality will find it difficult to detain and prosecute those apprehended by them. It was, therefore, considered necessary to give effect to the notification from the date of its publication in the Official Gazette.

Immediately on being satisfied after hearing learned Additional Secretary, Shri P.D. Shenoy and on perusal of the resume and other material produced the notice was issued by the order dated 12-11-1999 for service on NLFT, the banned association, in the manner prescribed under the Act and the Rules framed thereunder. In addition to that notice was also required to be served by pasting the same in the office of each District Magistrate and Tehsildar at headquarters of districts and tehsils. The service of notice was also directed by publication, affixation and by broadcasting on radio. In the notice it was also provided that parties may submit their written statements/objections together with the material in support thereof, if any, by registered post to the registrar of the Tribunal at his address at Allahabad.

On 7-1-2000 the tribunal held its sitting at Allahabad on which date affidavit was filed stating that notices in pursuance of the order dated 12-11-1999 have been widely published as required. After hearing counsel for the parties and on perusal of affidavit and the material annexed therewith the service of the notice was found sufficient. Parties were then directed to file their affidavits and other material in support of their contentions within three weeks.

The tribunal then had its sitting at Allahabad on 4-2-2000. Shri Madhur Prakash, learned counsel for Government of Tripura filed an affidavit of Shri Barun Kumar Sahu. Shri S.C. Misra, learned counsel for Union of India filled

affadavit of Ajay Srivastava, Deputy Secretary (North-East), Government of India. The tribunal then fixed the case for hearing and recording evidence on 6-3-2000 at 10-30 AM at Agartala in the State of Tripura. The date of hearing was required to be notified widely by publication, affixation and broadcasting on radio as per rules.

On 6-3-2000 Tribunal held its sitting at Agartala. Affidavit was filed by Shri B.C. Bhowmic, Under Secretary to Government of Tripura, Home Department to the effect that in pursuance of the order of Tribunal dated 4-2-2000 the date of hearing was published in four local newspapers, photo copies of the newspapers were filed along with affidavit. It was also stated in the affidavit that the District Magistrate arranged wide publicity in connection with sitting of Tribunal at Agartala on 6-3-2000 at 10.30 A.M.

On 6-3-2000 proceedings of the tribunal commenced at 10.30 A.M. For State of Tripura Shri Madhur Prakash appeared as counsel and Shri S.C. Misra appeared for Union of India. A list of nine witnesses was filed by Shri Madhur Prakash. None appeared for NLFT, the banned organisation. Total seven witnesses were examined. The remaining witnesses were discharged. The statements given by the witnesses on oath are to the following effect :—

(i) P.W. 1, Shyam Sunder Chaturvedi is posted as S.P. Special Branch, Tripura. He has stated on oath that during course of his day to day work he collected intelligence regarding the activities of NFLT. He also interrogated one Shikaniya Koloi, a hard core extremist of NFLT who was captured by Mizoram Police in 1999. During interrogation he revealed the names of other extremists, organisational set up of NLFT and major incidents committed by NLFT. Their aim is to secede Tripura from India. During interrogation linkage of NLFT with other extremists group of North Eastern State, with ISI of Pakistan and with Bangladeshi Army were also revealed. During investigation documents namely, constitution of NLFT. manifesto, and subscription notices have also been seized. He has stated that prior to October, 1999 NLFT committed activities like ambush on security forces, killing and kidnapping of civilian population. Collection of subscriptions is still going on. The subscription notice addressed to Bishalgarh Sentrigrade (Motor Syndicate of Bishalgarh) requiring them to pay subscription by owners of different kind of vehiclea at different rates, is on record.

(ii) P.W. 2, Manoj Kumar is continuing as District Magistrate in West Tripura since January, 1999. He has stated that during the course of his incumbency he came across various incidents relating to NLFT and gathered information ragarding various activities of this millitant outfit. He has stated that NLFT indulging is secessionist and subversive activities. It is also questioning the sovereignty of the State. It subscribes to separatist idealogy, which is evident from the aims and objectives contained in its constitution and manifesto as well as other publications. It does not recognise the Constitution of India and illegally established Government. It has separate constitution and parallel administrative set up. It boycotts national festivals like Independence Day and Republic Day. It also tried to disrupt parliamentary election. On 20th August, 1999 the Block Development Officer of Jampauljala was attacked as he organised celebration of independence day. Witness further stated that on 28th January, 2000 NLFT persons attacked Circle Inspector. On 24th December, 1999 they opened indicriminate firing at the place called Laxmandepha killing three persons, injuring five and kidnapping five persons. Subsquently, many houses belonging to tribals were gutted down in reaction. Still more than 60 families are not staying in that area because of the communal tension. In the last five years about 6000 families have been forced to vacate their houses because of the activities of extremist group, which wants to carve out separate home land. Pattern of activity indicated that in furtherance of their objectives they have been attacking security forces, looting arms and ammunitions and have been indulging in senseless violence against civilians including women and children. They also collected money by forcing payment of subscription and the money was utilised in procurement of sophisticated arms and ammunitions.

(iii) P.W.3., Shri Puneed Rastogi, Additional S.P. (Urban), West Tripura deposed that he is working as the Additional S.P. (Urban) since 22-4-1999 in West Tripura District. There are 15 police stations out of which areas covered by seven police stations have been declared disturbed areas under the Arm Forces Special Power Act, out of which five police stations are witnessing heavy movement of NLFT extremists. During the year 1998, 64 extremist incidents were committed by NLFT out of which 20 incidents were of murder and 31 were of kidnapping. In 1999 also this militant outfit committed 77 criminal incidents out of which 20 were of murders and 44 kidnapping. Witness further stated that on 2-2-1999, 15/20 armed NLFT extrimists raided Kanchanhmala market and killed four persons and injured three. On 17-4-1999 NLFT raided Satishpara under Teliamura P.S. and killed two tribals and injured two others. On 3-6-1999 NLFT extremists kidnapped five persons from Udayjamadar Para under Takarjala P.S. On 11-8-1999 NLFT extremists killed one D.A.R. constable. These incidents show that they are

targeting not only civilians but also police personals. Their aim is to secede Tripura from India. To achieve this they are resorting to killing of civilians and security forces by acquiring sophisticated arms. They are collecting funds by ransom from kidnapped persons and also collecting subscription from the general public. Funds so collected are used for procurement of arms. In addition to above activities they are collecting subscriptions by issuing notices in the name of Government of Tripura led by NLFT. They are attempting to run parallel government.

(iv) P.W. 4, Manik Lal Mazumdar is posted as Additional S.P. (C.I.D.), Tripura, Agartala. In capacity as C.I.D. officer he investigated case registered as case no. 37/1998 at P.S. East Agartala. During investigation he collected evidence such as constitution of NLFT, extortion notices issued by NLFT, money receipts of NLFT. This witness further stated that from evidence and interrogation report and circumstantial evidence it is revealed that NLFT organisation is trying to separate Tripura from Indian Territory and they are challenging sovereignty and integrity of India. They have established camps in Bangladesh at 9 mile Lalu Kalu etc. and are getting support from Bangladesh army and other extremist organisation of North East.

(v) P.W. 5, B.K. Nag (Bijoy Kumar Nag) is posted as Deputy Superintendent of Police, Teliamura/Khowai, West Tripura. There are three police stations under his command out of which two police stations namely, Teliamura and Kalyanpur are affected by NLFT extremists. In the year 1999 total 46 extremists' incidents took place out of which 17 were of murder cases, 19 cases of kidnapping and 10 cases of attack on security forces. On 1-3-1999 Assam Rifles troop went to Panchabati on receipt of information that NLFT group was active there. After conducting search while they were returning to their camp NLFT attacked on them resulting in death of one jawan. On 17-4-1999 NLFT group attacked the tribal village south Gakulnagar and killed three tribal persons on the ground that they refused to pay subscription. On 2nd October, 1999 Tripura State rifles section deployed at Durgadhan Bari S. B. School polling booth in connection with the last parliamentary election was attacked by NLFT in which four persons including one T. S. R. Jawan died. Witness stated that during his tenure he visualised and has seen that NLFT group is trying to continue parallel government and for this reason they are indulging in subversive activities.

(vi) P. W. 6, Shri Durgesh Majumder is posted as Inspector of Police (C. I. D.), Agartala. This witness in his statement has narrated several incidents including killing of Bimal Sinha, Health Minister of Tripura and his brother on 31-3-1998. The case was investigated by the witness. During investigation he learnt that there was deep and pre-planned conspiracy on the part of NLFT who wants to throw out the lawfully established government. Mizoram police arrested one Chikania Kalai alias S. K. Abel and a Bangladesh national named Lal Zazova when they went to Aizal to purchase arms and ammunitions. From their possession three sophisticated arms were seized. During investigation Chikania Kalai alias S. K. Abel stated that they have camp at Bangladesh at Lalu Kalu. The activities of NLFT were committed to terrorise the public to achieve their goal of having separate Tripura from Indian territory.

(vii) P. W. 7, Shri Rajendra Dutta is posted as S. I. of Police, Tripura at Jirania police station. He stated that he has been serving as officer-in-charge since 26-5-1999. The entire area which comes under the jurisdiction of this police station has been declared disturbed area. During his tenure NLFT extremists committed heinous crimes like murder and kidnapping. On 7-11-1999 when both tribal and non-tribal people were enjoying Diwali festival NLFT extremists kidnapped three non-tribals from Baidyathakurpara near Jirania market resulting in high communal tension. In another incident NLFT extremists killed two non-tribals on 25-1-2000 on the eve of Republic Day at Balaramthakurpara. The NLFT extremists issued subscription notices upon villagers and are collecting subscription. The aim and object of NLFT extremist by way of doing unlawful activities is to separate Tripura from Indian territory.

From perusal of the statement of the aforesaid seven witnesses and on perusal of affidavits filed and on perusal of constitution of NLFT and subscription notices and other documents it appears that NLFT's objective is to establish an independent identity of Borok Civilization of Twipra after liberating Borok Land Twipra. From the material on record especially constitution of NLFT it is clear that NLFT is headed by Biswa Mohan Debberma. Its area of operation includes areas in West Tripura Dhalai, North and South Tripura districts. They possess sophisticated fire arms procured from illegal sources. It has also proved from the material on record that NLFT is mobilising its members for increasing secessionist, subversive and violent activities. They are also indulging in propagating anti national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity. The organisation is indulging in killing of civilians, resorting to looting, extortions and other criminal acts and thereby trying to create a climate of lawlessness.

Sections 2(f) and 2 (g) of the Act define "unlawful activity" and "unlawful association", which read as under:—

"(f) "unlawful activity", in relation to an individual or association, means any action taken by such individual or association (whether by committing an act or by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise)—

(i) which is intended, or supports any claim, to bring about, on any ground whatsoever, the cession of a part of the territory of India or India from the Union, or which incites any individual or group of individuals to bring about such cession or secession;

(ii) which disclaims, questions, disrupts or is intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India :

(g) "unlawful association" means any association—

(i) which has for its object any unlawful activity, or which encourages or aids persons to undertake any unlawful activity or of which the members undertake such activity."

A perusal of the evidence produced on record and arguments advanced by the counsel for the state government as well as Central government proves that NLFT is engaged in subversive secessionist and violent activities and the said association has established linkage with other unlawful associations. It is further proved that NLFT is resorting to the acts of killing of civilians and personal belonging to police forces, extortion of funds from public and traders in Tripura for procuring arms and ammunitions by way of illegal channels and inducting them secretly in Tripura through a neighbouring country. The aims and objects of the said NLFT are to secede from India and to establish a sovereign state of NLFT.

It is further proved from material on record that if NLFT is allowed to continue with its activities, it will encourage insurgency and unlawful activities of the association. The evidence adduced has not been controverted by any other material and it has been firmly established that NLFT is engaged in various violent activities. They intend to disrupt the sovereignty and integrity of India and if they are not checked, the unlawful activities will increase. The NLFT has been advocating and practising separatism and is following secessionist policies which amount to unlawful activities as defined under Section 2(f) of the Act.

In view of the above, I am satisfied that there is sufficient cause for declaring the National Liberation Front of Tripura (NLFT), unlawful association. Consequently, the declaration made by the Central Government vide notification dated 3rd October, 1999 under sub section (1) of Section 3 of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 is hereby confirmed.

Dated : March 25, 2000

ALLAHABAD

R R. K. TRIVEDI

TRIBUNAL

Unlawful Activities

(Prevention) Tribunal

Allahabad

[No. 9/14/99-NE. I]

G. K. PILLAI, Jt. Secy.

1122 GI/2000 - 3

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2000

का. आ. 395(अ).—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर0आर0के त्रिवेदी की अध्यक्षता में विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

आल त्रिपुरा टाईगर फोर्स (ए0टी0टी0एफ0) के मामले में अधिकरण की रिपोर्ट

रि पो र्ट

भारत के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 3.10.1999 को नई दिल्ली में प्रकाशित गृह मंत्रालय की अधिसूचना के द्वारा केन्द्र सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (संख्या 37/67) (जिसे अबसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 3 की उपधारा-I द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए आल त्रिपुरा टाईगर फोर्स (जिसे अबसे ए0टी0टी0एफ0 कहा जाएगा) को विधिविरूद्ध संगम घोषित किया था । उक्त अधिसूचना का मूल पाठ निम्न प्रकार है :-

गृह मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्तूबर, 1999

का0आ0 1004(अ) -- यतः आल त्रिपुरा टाईगर फोर्स (अब से इन्हें ए0टी0टी0एफ0 के रूप में समझा जाए) का स्पष्ट लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के सहयोग से त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के सात राज्यों को मिलाकर एक पृथक राष्ट्र का गठन करना और परिणामस्वरूप उक्त राज्यों को भारत से पृथक करना तथा इन राज्यों को भारत से प्रथक करने के लिए सशस्त्र संघर्ष जारी रखना और उससे इन राज्यों को भारत से पृथक करना है;

और यतः केन्द्र सरकार का मत है कि ए0टी0टी0एफ0 :-

(i) अपने लक्ष्य के अनुसरण में विद्रोही तथा हिंसक गतिविधियों में लिप्त है एवं इस प्रकार उसने सरकार के प्राधिकार को क्षति पहुंचाई है तथा लोगों में डर व आतंक फैलाया है,

(ii) यूनाईटेड लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ असम (उल्फा) और मणिपुर के मैतेयी उग्रवादी संगठनों जैसे अन्य विधि विरूद्ध संगमों के साथ उनका समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से, संपर्क स्थापित किए हुए है;

(iii) हाल के पिछले कुछ समय में अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई हिंसक तथा विधि विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त रही है जो कि भारत की प्रभुसत्ता तथा एकता के लिए हानिकर है ।

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि हिंसक एवं विधि विरूद्ध गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल है:-

(क) नागरिकों तथा पुलिस एवं सुरक्षा बलों के कार्मिकों की हत्या,

(ख) त्रिपुरा में व्यवसायियों एवं व्यापारियों सहित जनता से जबरन धन ऐंठना,

(ग) असमाजिक एवं अवैध माध्यमों से भारी मात्रा में परिष्कृत शस्त्र व गोलाबारूद जुटाना तथा उन्हें गुप्त रूप से पड़ोसी देश के माध्यम से भारत में लाना,

(घ) सुरक्षित आश्रय, प्रशिक्षण, शस्त्र व गोलाबारूद आदि जुटाने के प्रयोजन के लिए पड़ोसी देश में शिविर स्थापित करना तथा उन्हें बनाए रखना,

(ङ) त्रिपुरा में जनजातीय एवं गैर जनजातीय समुदायों के बीच साम्प्रदायिक संघर्ष उत्पन्न करने एवं उनमें वृद्धि करने के लिए अन्य त्रिपुरा जनजातीय संगठनों के साथ संबंध स्थापित करना और उन्हें बनाए रखना ।

और यतः केन्द्र सरकार का मत है कि ए0टी0टी0एफ0 की उपरोक्त गतिविधियां भारत की प्रभुसत्ता एवं अखण्डता विरोधी हैं तथा यह एक विधि विरूद्ध संगम है,

अतः अब विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आल त्रिपुरा टाईगर फोर्स (ए0टी0टी0एफ0) को एक विधि विरूद्ध संगम घोषित करती है ।

और यतः केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि यदि इस पर तत्काल नियंत्रण न किया गया तो ए0टी0टी0एफ0 को अवसर मिलेगा कि वह :-

(i) अपने कॉडर की अलगाववादी, विद्रोही, आतंकवादी/हिंसक गतिविधियां बढ़ाएगी,

(ii) भारत की प्रभुसत्ता एवं राष्ट्रीय अखण्डता के विरूद्ध शक्तियों के साथ सहयोग करके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का प्रचार करेगी,

(iii) नागरिकों तथा पुलिस व सुरक्षा बलों के कार्मिकों की हत्याओं में वृद्धि में लिप्त हो जाएगी,

(iv) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से और अधिक गैर कानूनी हथियार एवं गोलाबारूद प्राप्त करने तथा जुटाने में लिप्त हो जाएगी,

(v) गतिविधियों के लिए जनता से बड़ी राशि इकट्ठा करने तथा जबरन धन ऐंठने में लिप्त हो जाएगी।

और यतः उपरोक्त परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार की पक्की राय है कि ए0टी0टी0एफ0 को तत्काल प्रभाव से एक विधि विरूद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार उक्त खण्ड-3 की उपधारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत किए जाने वाले किसी भी अध्यादेश के अध्यधीन, यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

(फाइल सं0 9/14/99-एन0ई0-II)
जी0के0 पिल्लै, संयुक्त सचिव

उक्त अधिसूचना के पश्चात, भारत सरकार ने यह न्याय निर्णय, करने के लिए कि क्या भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 3.10.1999 की अधिसूचना के द्वारा ए0टी0टी0एफ0 को विधि विरूद्ध संगम घोषित किए जाने का पर्याप्त कारण है अथवा नहीं, इस अधिकरण का गठन करते हुए अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 के तहत दिनांक 28.10.99 को एक अधिसूचना जारी की । अधिनियम की धारा-5 (1) के तहत जारी की गई दिनांक 28.10.99 की उक्त अधिसूचना निम्न प्रकार है :-

'गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्तूबर, 1999

का0आ0 1056(अ) - विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की उपधारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, इस बात का न्याय-निर्णय करने के प्रयोजनार्थ कि आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा को विधि विरूद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री आर0आर0के0 त्रिवेदी की अध्यक्षता में 'विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण' का गठन करती है ।

(फा0सं0 9/14/99-एन0ई0-I)
जी0के0 पिल्लै, संयुक्त सचिव'

इस अधिकरण का गठन होने के साथ ए0टी0टी0एफ0 के उद्दश्यों एवं लक्ष्यों से संबंधित सार भी इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे त्रिपुरा राज्य में विद्रोह के संक्षिप्त इतिहास तथा इसकी उत्पत्ति के बारे में पता चलता है । यह भी बताया गया है कि पिछले 18 वर्ष से त्रिपुरा विद्रोह का सामना कर रहा है । यद्यपि लगभग 20 सशस्त्र जनजातीय संगठनों की शिनाख्त की गई है, लेकिन उनमें से केवल 2 ए0टी0टी0एफ0 तथा एन0एल0एफ0टी0 अधिकांश हत्याओं के लिए जिम्मेदार है तथा इन्होंने ही अपने आर्थिक लाभ के लिए केवल हत्याओं, लूटपाट, जबरन धन वसूली, अपहरण जैसी मुख्य गतिविधियों को अपना लिया है । लगभग समस्त त्रिपुरा जनजातीय स्वायत जिला परिषद् (टी0टी0ए0डी0सी0) क्षेत्र, जहां घने जंगल हैं तथा जहां पर जनजातीय लोगों का आधिपत्य है, जनजातीय उग्रवादियों/शरारती तत्वों द्वारा की जाने वाली हिंसा से प्रभावित है । हिंसा का निशाना मुख्यतः गैर-जनजातीय लोगों को बनाया जाता है । टी0टी0ए0डी0सी0 से बाहर के क्षेत्र, जहां गैर-जनजातीय (बंगाली) लोगों का बाहुल्य है, बहुत कम प्रभावित है।

यद्यपि उक्त दो उग्रवादी संगठनों द्वारा की जाने वाली कुल हिंसा में 1993 से काफी तेजी आई थी । तथापि 1996 में इसमें कमी आई । इन दो आतंकवादी संगठनों द्वारा की जाने वाली हिंसा में 1997 के दौरान काफी वृद्धि हुई, हालांकि अन्य जनजातीय उग्रवादियों द्वारा की जाने वाली हिंसा की घटनाओं में कमी आई । यद्यपि, त्रिपुरा सरकार ने अधिकतर क्षेत्रों को अशान्त क्षेत्र घोषित कर दिया है । फिर भी ए0टी0टी0एफ0 तथा एन0एल0एफ0टी0 द्वारा की गई हिंसा का स्तर काफी ऊंचा रहा तथा यह चिंता का विषय बन गया । ए0टी0टी0एफ0 तथा एन0एल0एफ0टी0 दो मुख्य संगठित आतंकवादी संगठन हैं, जिनमें ए0टी0टी0एफ0 'जनजातीय भू-भाग' के लिए पृथक राज्य की मांग कर रहा है तथा एन0एल0एफ0टी0 अभी भी त्रिपुरा को स्वतंत्र करने का समर्थन कर रहा है ।ए0टी0टी0एफ0, जिसका गठन 1993 के मध्य में हुआ था, का नेतृत्व रंजीत देबरमा कर रहा है तथा इसके लगभग 150 दुर्दान्त सशस्त्र सदस्य हैं । इसकी सक्रियता वाले क्षेत्रों में संपूर्ण धलाई जिला तथा पश्चिम त्रिपुरा जिले के कल्याणपुर; तकारजला खोवाल, तेलिया, मुरा, जिरानिया और सिभाई पुलिस थाने के क्षेत्र; उत्तरी त्रिपुरा जिले के कंचनपुर फतैकाराय और कैलाशाहार , पुलिस थानों के क्षेत्र तथा दक्षिणत्रिपुरा जिले के बीरगंज, टायडू, आर0के0 पुर तथा ओम्पी पुलिस थाने के क्षेत्र शामिल हैं । त्रिपुरा में 19 पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को फरवरी, 1997 में अशान्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया था तथा तत्पश्चात् और कोई क्षेत्र ए0टी0टी0एफ0 की गतिविधियों से प्रभावित नहीं थे । बल्कि यह संगठन ऐसे क्षेत्रों में अपना शिकंजा कसने में सफल रहा जहां यह सक्रिय है तथा त्रिपुरा में मुख्य आतंकवादी संगठन के रूप में उभरा है ।

ए0टी0टी0एफ0 के बंगलादेश में प्रशिक्षण शिविर/छिपने के अड्डे हैं तथा यह हिंसा की प्रमुख वारदातों में शामिल होने के बाद शरण लेने के लिए बंगलादेश के भू-भाग का प्रयोग कर रहा है । इनमें से अधिकांश घटनाओं की योजना बंगलादेश में तैयार की जाती है तथा वहीं से कार्यान्वित की जाती है । इन्होंने बड़ी संख्या में परिष्कृत हथियार हासिल कर लिए हैं तथा यह पता चला है कि ये पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोही संगठनों से संपर्क बनाए हुए हैं । हाल की रिपोर्टों से ए0टी0टी0एफ0 , यूनाईटेड लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ असम (उल्फा) और मणिपुर के मैतेयी उग्रवादी संगठनों के बीच सांठगांठ का पता चला है । इस जनजातीय संगठन ने

पुलिस/सुरक्षा बलों तथा निर्दोष गैर जनजातीय लोगों पर हमला करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई है ताकि उन्हें त्रिपुरा छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके । इन आतंकवादियों द्वारा पीड़ित अधिकांश व्यक्ति गैर जनजातीय हैं तथा विशेष रूप से बंगाली हैं । इससे राज्य में जनजातीय एवं गैर जनजातीय लोगों के बीच काफी दरार पैदा हो गई है जिसके परिणामस्वरूप व्यर्थ की जातीय स्थिति पैदा हो गई है जिससे मामूली से भड़काने पर जातीय संघर्ष बढ़ जाते हैं ।

ए0टी0टी0एफ0 को 3.4.1997 की अधिसूचना द्वारा पहली बार अधिनियम के तहत विधि विरूद्ध संगम घोषित किया गया था । तथापि, इस संगठन ने अपनी विद्रोही गतिविधियां जारी रखी जिससे त्रिपुरा में सुरक्षा की गंभीर चिंता पैदा हो गई ।ए0टी0टी0एफ0 ने अवैध कर वसूलियों, जबरन धन वसूली तथा फिरौती के लिए अपहरण के द्वारा बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा करने के अपने प्रयासों को जारी रखा । शस्त्र जुटाने के कार्य को भी जारी रखा गया है । दिनांक 3.10.99 की नई अधिसूचना, जो कि इस अधिकरण के न्याय निर्णय की विषय वस्तु है, का औचित्य निम्न कारणों से है :-

(I) भारत संघ से त्रिपुरा को अलग करने की नीति के समर्थन को जारी रखना ।

(II) भारत की संप्रभुता एवं अखण्डता के लिए अहितकर गतिविधियों में सतत रूप से भाग लेना ।

(III) अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के साधनों के रूप में सशस्त्र कार्रवाई के माध्यम से हिंसा एवं आतंकवाद को अपनाना ।

(IV) व्यवसायियों, व्यापारियों तथा सरकारी कर्मचारियों सहित जनता से बड़ी मात्रा में जबरन धन वसूली तथा अवैध कर वसूली ।

(V) ए0टी0टी0एफ0 ने यूनाईटेड लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ असम (उल्फा) मणिपुर के मैतेयी उग्रवादी संगठनों से संबंध विकसित कर लिए हैं ।

(VI) पड़ोसी बंगलादेश में शरणस्थलों, सुरक्षित आश्रयों एवं प्रशिक्षण शिविरों का निरन्तर रखरखाव ।

(VII) गुप्त तरीकों से अथवा विभिन्न सुरक्षा बलों से छीनकर भारी मात्रा में परिष्कृत शस्त्र एवं गोलाबारूद जुटाना ।

(VIII) त्रिपुरा को भारत संघ से अलग करने के अपने अंतिम उद्देश्य के लिए समर्थन जुटाने हेतु विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक अपनी पहुंच बनाने तथा उनका उपयोग करने के इरादे से बिना प्रतिनिधित्व वाले राष्ट्रों तथा जन संगठनों की सदस्यता प्राप्त करने के प्रयास ।

इस सार में तत्काल अधिसूचना की आवश्यकता के कारणों का भी उल्लेख किया गया है । यह बताया गया है कि यदि पूर्व अधिसूचना के व्यपगत होने तथा नई अधिसूचना जारी होने के बीच कोई अंतराल हुआ तो यह संगम इस स्थिति का अनुचित लाभ उठा सकता है तथा अलगाववादी, विध्वंसक एवं 'आतंकवादी/हिंसक गतिविधियों में वृद्धि करने के लिए अपने काडरों को सक्रिय बना सकते हैं । इससे इस संगठन के नेतृत्व को भारत की सुरक्षा के लिए अहितकर विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर खुले रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का प्रचार करने का भी मौका मिल सकता है । ऐसी स्थिति में पुलिस तथा सुरक्षा बलों द्वारा पकड़े गए व्यक्तियों को बंद करना तथा उन पर अभियोग चलाना उनके लिए कठिन होगा । अतः इस अधिसूचना को सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी बनाना आवश्यक समझा गया ।

विद्वान अपर सचिव श्री पी0डी0 शिनॉय की सुनवाई से संतुष्ट होने तथा इस सार एवं प्रस्तुत की गई अन्य सामग्री का अवलोकन करने के तत्काल बाद दिनांक 12.11.1999 के आदेश के तहत प्रतिबंधित संगम ए0टी0टी0एफ0 के लिए अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित तरीके से नोटिस जारी किया गया । इसके अतिरिक्त इस नोटिस की सूचना जिलों एवं तहसीलों के मुख्यालयों में प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट तथा तहसीलदार के कार्यालय में इसे चिपका कर भी दी जानी थी । इस नोटिस की सूचना को प्रकाशन के द्वारा, चिपका कर, तथा रेडियो पर प्रसारण द्वारा देने का भी निदेश दिया गया था । नोटिस में यह भी व्यवस्था की गई कि पक्षकार, अधिकरण के रजिस्ट्रार को इलाहाबाद में उसके पते पर अपने लिखित विवरणों/आपत्तियों, उनके समर्थन में किसी सामग्री, यदि कोई हो, सहित पंजीकृत डाक से भेज सकते हैं ।

अधिकरण ने 7.1.2000 को इलाहाबाद में अपनी बैठक की । इस तारीख को शपथ पत्र दायर किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि दिनांक 12.11.99 के आदेश के अनुसरण में नोटिसों को अपेक्षानुसार व्यापक तौर पर प्रकाशित किया गया था । पक्षकारों के वकील को सुनने के बाद तथा शपथ पत्र तथा उसके साथ जुड़ी सामग्री का अवलोकन करने के बाद यह नोटिस भेजना पर्याप्त पाया गया । तत्पश्चात, पक्षकारों को तीन सप्ताह के भीतर अपने तर्कों के समर्थन में अपने शपथ-पत्र तथा अन्य सामग्री प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया ।

तत्पश्चात् अधिकरण ने 4.2.2000 को इलाहाबाद में अपनी बैठक की । त्रिपुरा सरकार के विद्वान वकील श्री मधुर प्रकाश ने श्री बरुण कुमार साहू का शपथ-पत्र दायर किया । भारत संघ की तरफ से विद्वान वकील श्री एस0सी0 मिश्रा ने अजय श्रीवास्तव, उप सचिव (पूर्वोत्तर) भारत सरकार का शपथ पत्र दायर किया। तत्पश्चात अधिकरण ने इस मामले को त्रिपुरा राज्य मे अगरतला में 6.3.2000 को अपराह्न 10.30 बजे सुनवाई एवं साक्ष्य रिकार्ड करने के लिए निर्धारित कर दिया । सुनवाई की तारीख की सूचना नियमानुसार समाचार पत्र, चिपकाकर तथा रेडियो पर प्रसारण द्वारा दी जानी थी ।

दिनांक 6.3.2000 को अधिकरण ने अगरतला में सुनवाई की । त्रिपुरा सरकार के गृह विभाग में अवर सचिव श्री बी0सी0 भौमिक ने इस आशय का शपथपत्र दिया कि अधिकरण के 4.2.2000 के आदेश के अनुसरण में चार स्थानीय समाचार पत्रों मे सुनवाई की तारीख प्रकाशित की गई थी, शपथ-पत्र के साथ समाचार पत्रों की फोटोप्रतियां प्रस्तुत की गईं । शपथपत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि जिला मजिस्ट्रेट ने

इस बात का व्यापक प्रचार किया था कि अगरतला में 6.3.2000 को सुबह 10.30 बजे अधिकरण द्वारा सुनवाई की जाएगी।

6.3.2000 को सुबह 10.30 बजे अधिकरण की कार्यवाही शुरू हुई । त्रिपुरा राज्य की ओर से श्री मधुर प्रकाश अधिवक्ता के रूप में पेश हुए और भारत संघ की ओर से श्री एस0सी0 मिश्रा पेश हुए । श्री मधुर प्रकाश ने 6 गवाहों की सूची प्रस्तुत की जिसमें बाद में मति लाल देब नाथ का नाम भी जोड़ा गया । प्रतिबंधित संगठन ए0टी0टी0एफ0 की ओर से कोई व्यक्ति पेश नहीं हुआ । कुल छह गवाहों से पूछताछ की गई । शेष गवाहों को छोड़ दिया गया । गवाहों ने शपथपूर्वक जो बयान दिए, वे निम्नवत हैं:-

(i) अभियोग गवाह-1, एस0एस0 चतुर्वेदी त्रिपुरा में पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा के पद पर तैनात हैं। उन्होंने शपथ पूर्वक कहा है कि आसूचना संग्रह के रोजमर्रा के अपने कार्यों के दौरान उनको पता चला कि ए0टी0टी0एफ0 अनेक अलगाववादी क्रियाकलापों में संलिप्त है । ए0टी0टी0एफ0 ने अपना संविधान और कई अन्य नए दस्तावेज प्रकाशित किए हैं जो भारत-विरोधी प्रकृति के हैं । अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ए0टी0टी0एफ0 सामूहिक नरसंहारों एवं सुरक्षा बलों पर हमले करने में लगा रहा है । अपने भारत विरोधी कार्यकलापों के लिए ए0टी0टी0एफ0 लूट-खसोट, अपहरण और शस्त्र प्राप्ति में संलिप्त रहा है । इसने 26 जनवरी और 15 अगस्त का बहिष्कार करने का आह्वान किया जो कि क्रमशः गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस हैं । कुछ ए0टी0टी0एफ0 उग्रवादियों से पूछताछ करने पर पता चला है कि ए0टी0टी0एफ0 के बंगलादेश में शिविर हैं और यह अपनी गतिविधियां भी सीमा पार से चला रहा है । यह जनजातीय और गैर जनजातीय समुदायों के मध्य सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ाता रहा है ।

(ii) अभियोग गवाह-2, मनोज कुमार जनवरी, 99 से पश्चिम त्रिपुरा, अगरतला के जिला मजिस्ट्रेट तथा कलेक्टर हैं । उनका कहना है कि उनकी तैनाती के दौरान उनको ए0टी0टी0एफ0 की अनेक गतिविधियों, उद्देश्यों एवं ध्येयों का पता चला है । ए0टी0टी0एफ0 अलगाववादी और विध्वंसक कार्यकलापों में संलिप्त है । यह राष्ट्र की संप्रभुता पर भी प्रश्न उठा रहा है । इसका उद्देश्य, जो इसके संविधान और 'छोबा' जैसे अन्य प्रकाशनों से स्पष्ट है, एक स्वतंत्र जनजातीय राज्य बनाना है । यह भारत के संविधान को मान्यता नहीं देता है । यह सरकार की तरह का एक समानांतर प्रशासनिक तंत्र स्थापित करने हेतु प्रयासरत है और इसके उग्रवादी संगठनों में भारतीय सेना की तरह के पदनाम विद्यमान हैं । इसने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे त्यौहारों में भाग न लेने के लिए जनता को उकसाया । इसने हाल ही में संपन्न संसदीय चुनाव में भी अशांति फैलाने की कोशिश की । यह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सुरक्षा बलों पर हमले, शस्त्र, गोलाबारूद की लूटपाट नागरिकों पर बेरहम हिंसा, अपहरण, लूट-खसोट, अत्याधुनिक शस्त्रों एवं गोलाबारूद की प्राप्ति के कार्यों में संलिप्त है । इसके कार्यकलापों से जनजातीय और गैर जनजातीय लोगों के मध्य सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ रहा है । इसके कार्यकलापों के कारण भारी संख्या में लोग, विशेषकर जनजातीय समुदायों के लोग, अन्यत्र चले गए हैं । इस संगठन ने 8/1/2000 को आश्रमबाड़ी जा रहे एक वाहन पर हमला करके पांच व्यक्तियों को मार गिराया और पांच अन्य

व्यक्तियों को घायल किया । इसी प्रकार 14/11/99 को पंचवटी में अंधाधुंध गोलाबारी करके इसने 18 व्यक्तियों को मारा । आस-पास के क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है । और ए0टी0टी0एफ0 अभी भी विध्वंसक और विधि-विरुद्ध कार्यकलापों में संलिप्त है ।

(iii) अभियोग गवाह-3, श्री पुनीत रस्तोगी, अपर पुलिस अधीक्षक (शहरी), पश्चिमी त्रिपुरा ने बताया कि ए0टी0टी0एफ0 का उद्देश्य त्रिपुरा को भारत संघ से पृथक करना तथा भारत की संप्रभुता और भू-भागीय अखण्डता को विखंडित करना है । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह अनेक विधि विरुद्ध और हिंसक कार्यकलापों में संलिप्त है जैसे कि चंदा संग्रह और फिरौती और यह समानांतर प्रशासनिक ढांचा चलाने के लिए प्रयासरत है । यह प्रायः महिलाओं और बच्चों समेत निर्दोष लोगों को मारते रहते हैं । पश्चिम त्रिपुरा जिले की बंगलादेश के साथ 263 कि0मी0 लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और बंगलादेश में ए0टी0टी0एफ0 के पांच शिविर हैं । अतः यह सीमा पार से अपनी गतिविधियां चला रहा है । जिला अपराध अभिलेखों के अनुसार 1998 में इस उगग्रादी संगठन का 71 उग्रवादी घटनाओं में हाथ था जिनमें से 19 हत्या की और 25 अपहरण की घटनाएं थीं । 1999 में 62 उग्रवादी घटनाएं हुईं जिनमें से 10 हत्या की और 25 अपहरण की थी । सिभाई थानांतर्गत लेफुंगा में 3/1/99 को ए0टी0टी0एफ0 के एक गुट ने 14 एम0एल0आई0 जवानों पर घात लगाकर हमला किया जिसमें एक ए0टी0टी0एफ0 उग्रवादी मारा गया तथा उनसे 2 ए0के0 56 राईफलें तथा अन्य गोलाबारूद बरामद किए गए । दिनांक 29/3/99 को जिरानिया थानान्तर्गत बालिधूम में ए0टी0टी0एफ0 उग्रवादियों ने 2 व्यक्तियों की हत्या की और 6 को घायल किया । दिनांक 21/6/99 को कल्याणपुर थानान्तर्गत कुंजाबान से ए0टी0टी0एफ0 उग्रवादियों ने पांच व्यक्तियों का अपहरण किया । ए0टी0टी0एफ0 मासिक समाचार पत्र 'छोबा' के नाम से साहित्य प्रकाशित करके जनता में विखंडन की भावना बढा रहा है ।

(iv) अभियोग गवाह-4, माणिक लाल मजूमदार त्रिपुरा, अगरतला में अपर पुलिस अधीक्षक (सी0आई0डी0) हैं । उन्होंने बयान दिया है कि सी0आई0डी0, ए0टी0टी0एफ0 के विरुद्ध दर्ज मामला संख्या 38/1998 की जांच कर रही है । इस मामले के जांच अधिकारी सी0आई0डी0 संगठन के अरुण कांति राय हैं । जांच के दौरान पर्यवेक्षण प्राधिकारी होने के नाते उनको ए0टी0टी0एफ0 के संविधान झण्डे और दूसरे अभिशंसी दस्तावेजों का पता चला और उनको उन्होंने जब्त किया । एकत्र किए गए साक्ष्यों से स्पष्ट है कि पृथक त्रिपुरा राज्य की स्थापना के अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ए0टी0टी0एफ0 विध्वंसक और विधि विरुद्ध कार्यकलापों में संलिप्त है । यह जनता को आतंकित करने के लिए नागरिकों की हत्या और अपहरण करता रहता है ताकि वे चंदे का भुगतान कर दें । यह शस्त्र एवं गोलाबारूद लूटता रहता है तथा सुरक्षा बलों के कार्मिकों की हत्या करता है । अधिनियम के उपबंध ए0टी0टी0एफ0 को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने पर लागू होते है ।

(v) अभियोग गवाह-5, अरुण कांति राय, त्रिपुरा में सी0आई0डी0 में इंस्पेक्टर हैं । थाना अगरतला में ए0टी0टी0एफ0 के लोगों के विरुद्ध दर्ज मामला संख्या 38/1998 की जांच के दौरान उनको पता चला कि रंजीत देब बर्मा, टिकेन्दर देब बर्मा, चिट्टा देब बर्मा और अन्य लोगों ने ए0टी0टी0एफ0 नामक संगठन बनाया है । उनका उद्देश्य त्रिपुरा राज्य को भारत संघ से पृथक करना है । यह विध्वंसक और हिंसक गतिविधियां लोगों को आतंकित करने के लिए करता है ताकि वे धन का भुगतान कर दें । ए0टी0टी0एफ0 ने असम के उल्फा एवं बोडो तथा मणिपुर के पी0एल0ए0 से संपर्क बना लिए हैं । यह भारतीय सुरक्षा बलों को हानि पहुंचाने के लिए अफवाहें फैलाता है । यह विकास कार्यों में व्यवधान डालता है । पूछताछ के दौरान उसने गवाहों के बयानों, दोषी व्यक्तियों की स्वीकारोक्तियों तथा ए0टी0टी0एफ0 के संविधान, लिफलेट्स, पैंफ्लेट्स और बुकलेट्स सहित जब्त किए गए दस्तावेजों का उल्लेख किया है । यह निर्दोष व्यक्तियों को मारकर धन संग्रह कर रहा है तथा अराजकता फैला रहा है । गवाह ने कुछ घटनाओं का भी ब्यौरा दिया ।

(vi) अभियोग गवाह-6, मतिलाल देब नाथ ऐसे गवाह है जो सामान्य नागरिक हैं । उन्होंने बयान दिया है कि वह उराबाड़ी में रहते थे जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 250 थी । वर्ष 1995 में ए0टी0टी0एफ0 के लोग उनके गांव आए और धन की मांग की और जब उन्हें धन नहीं दिया गया तो उन्होंने 5 लोगों को मार दिया । ग्रामीणों ने त्रिपुरा स्टेट राईफल्स से मदद करने की गुहार की । सुरक्षा कार्मिक गांव में शिविर लगाकर नौ महीने तक रहे । जब उन्होंने गांव छोड़ दिया तो ए0टी0टी0एफ0 के लोगों ने पुनः गां ं धावा बोलकर धन की मांग की । जब धन नहीं मिला तो उन्होंने पूरे गांव में आग लगा दी । वर्तमान में वह अस्थायी रूप से एक स्कूल के भवन में रह रहा है । उन्होंने यह भी कहा कि ए0टी0टी0एफ0 भारत संघ से पृथक एक स्वतंत्र देश की स्थापना करना चाहता है ।

उपरोक्त छह गवाहों के बयानों के अवलोकन से और प्रस्तुत हलफनामों के अवलोकन से तथा ए0टी0टी0एफ0 के संविधान एवं चंदा वसूली के नोटिसों तथा अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से ऐसा लगता है कि ए0टी0टी0एफ0 का उद्देश्य त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के सातों राज्यों को मिलाकर एक पृथक राष्ट्र का गठन करना है । रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री, विशेषकर ए0टी0टी0एफ0 के संविधान से स्पष्ट है कि ए0टी0टी0एफ0 के मुखिया रंजीत देबेरमा हैं । इसकी सक्रियता के क्षेत्रों में संपूर्ण धलाई जिला, पश्चिमी त्रिपुरा जिले के खोवाई, कल्याणपुर, तेलियामुरा, जिरानिया, तकरजला और सिभाई पुलिस थाना क्षेत्र, उत्तरी त्रिपुरा जिले के कैलाशाहार, फतैकाराय और कंचनपुर पुलिस थाना क्षेत्र और दक्षिणी त्रिपुरा जिले के बिड़ीगंज, आर0के0 पुर, टायडू और ओम्पी थाना क्षेत्र शामिल हैं । उनके पास अत्याधुनिक आ ेयास्त्र हैं जो उन्होंने अवैध स्त्रोतों से प्राप्त किए हैं । रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री से यह भी सिद्ध हो गया है कि ए0 ी0टी0एफ0 अपने सदस्यों को अलगाववादी, विध्वंसकारी और हिंसक कार्यकलापों के लिए लामबंद कर रहा है । वे भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता को हानि पहुंचाने वाली ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी संलिप्त हैं । यह संगठन नागरिकों की हत्याओं, लूटपाट और जबरदस्ती छीना-झपटी करने तथा अन्य आपराधिक कार्यों में संलिप्त है और इस प्रकार यह कानून विहीनता का माहौल बनाने के लिए प्रयासरत है ।

अधिनियम की धारा 2(च) और 2(छ) में 'विधि विरुद्ध क्रियाकलाप' और 'विधिविरूद्ध संगम ' की परिभाषा निम्न प्रकार की गई है:-

'(I) किसी व्यक्ति अथवां संस्था के संबंध में 'विधि विरुद्ध क्रियाकलाप' का तात्पर्य किसी व्यक्ति अथवा संगम द्वारा की गई ऐसी किसी कार्रवाई (कोई कार्य करके या शब्दों द्वारा, बोलकर या लिखकर, अथवा संकेत द्वारा या प्रत्यक्ष कथन द्वारा या अन्यथा हो सकता है) से है:-

(iii) जिसका उद्देश्य भारत के क्षेत्र के किसी भाग को या संघ से भारत को किसी भी आधार पर पृथक करने के दावे का समर्थन करता है या जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को ऐसे पृथकतावाद या उसे अलग करने के लिए उकसाता है ।

(iv) जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता को अस्वीकार करता है उसके बारे में प्रश्न उठाता है, उसे भंग करता है या भंग करने का इरादा रखता है ।

(छ) 'विधिविरुद्ध संगम' का तात्पर्य किसी ऐसी संस्था से है -

(i) जो अपने उद्देश्य के लिए किसी गैर कानूनी गतिविधि में भाग लेता है या जो किसी गैर कानूनी गतिविधि को करने के लिए व्यक्तियों को उकसाता या सहायता प्रदान करता है या जिसके सदस्य ऐसी गतिविधि में भाग लेते हैं ।'

राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के वकील द्वारा दिए गए तर्कों और रिकार्ड किए गए साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि ए0टी0टी0एफ0 अलगाववादी और हिंसक गतिविधियों में संलिप्त हैं और उक्त संस्था ने अन्य गैर कानूनी संस्थाओं के साथ संपर्क स्थापित कर लिए हैं । यह पुनः सिद्ध किया जाता है कि ए0टी0टी0एफ0 आम जनता और पुलिस बलों से संबद्ध कार्मिकों की हत्या करने, त्रिपुरा में जनता और व्यापारियों से धन ऐंठने

जैसे कृत्यों का आश्रय ले रही है ताकि गैर कानूनी चैनलों के जरिए शस्त्र व गोला-बारूद प्राप्त करके उन्हें गुप्त रूप से पड़ौसी देश की मार्फत त्रिपुरा भेजा जा सके । उपरोक्त ए0टी0टी0एफ0 का उद्देश्य भारत का विभाजन करके ए0टी0टी0एफ0 नामक स्वायत्त राज्य की स्थापना करना है ।

रिकार्ड पर प्राप्त सामग्री से यह सिद्ध होता है कि यदि ए0टी0टी0एफ0 को उसकी गतिविधियां जारी रखने दी जाती हैं तो वह संस्था विद्रोही और गैर कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा । प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का किसी अन्य सामग्री द्वारा खण्डन नहीं किया गया है और इस बात की दृढ़तापूर्वक पुष्टि की गई है कि ए0टी0टी0एफ0 अनेक हिंसक गतिविधियों में संलिप्त है । वे भारत की एकता और अखण्डता को क्षति पहुंचाना चाहते हैं और यदि उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका जाता है तो गैर कानूनी गतिविधियों में वृद्धि होगी । ए0टी0टी0एफ0 अलगाववाद का समर्थन कर रहा है और अलगाववादी नीतियों को अपना रहा है जो कि गैर कानूनी गतिविधियां हैं जैसी कि अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत परिभाषा की गई है ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि आल त्रिपुरा टाईगर फोर्स (ए0टी0टी0एफ0) को गैर कानूनी संस्था घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं । इसके फलस्वरूप गैर कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 3 अक्तूबर, 1999 की अधिसूचना के तहत की गई घोषणा की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है ।

दिनांक 25 मार्च, 2000
इलाहाबाद

ह0/-
(आर0आर0के0 त्रिवेदी)
अधिकरण
गैर कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिकरण
इलाहाबाद

[सं. 9/14/99-एन ई-I]
जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2000

S.O. 395(E).—The following is published for general information :—

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL HEADED BY HON'BLE MR. JUSTICE R. R. K. TRIVEDI

IN THE MATTER OF
ALL TRIPURA TIGER FORCE (ATTF)
REPORT OF THE TRIBUNAL

REPORT

By a notification of Ministry of Home Affairs published at New Delhi on 3-10-1999 in the Gazette of India (Extraordinary) Central Government in exercise of its power conferred by sub-section 1 of section 3 or the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (Act No. 37/67) (hereinafter referred to as the Act) declared, All Tripura Tiger Force (hereinafter referred to as ATTF) as unlawful association. The said notification reads as under :—

"MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 1999

S.O. 1004(E).—Whereas the All Tripura Tiger Force (hereinafter referred to as ATTF) has its professed aim, the formation of a separate nation of seven States comprising Tripura, Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, Meghalaya and Arunachal Pradesh resulting in bringing out the secession of the said States from India, in alliance with other armed secessionist organisations of the North East region and to carry on armed struggle for separation of these States from India and thereby secession of these States from India;

And whereas the Central Government is of the opinion that ATTF has—

(i) been engaging in subversive and violent activities, thereby undermining the authority of the Government and spreading terror and violence among the people for achieving its objective;

(ii) established linkages with other unlawful associations, viz., the United Liberation Front of Assam (ULFA) and the Meitei extremists outfits of Manipur with the aim of mobilising their support;

(iii) in pursuance of its aim and objective in the recent past, engaged in several violent and unlawful activities which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India;

And whereas the Central Government is also of the opinion that violent and unlawful activities include—

(a) killing of civilians and personnel belonging to the Police and Security Forces;

(b) extortion of funds from the public including business and traders in Tripura;

(c) procuring large number of arms and ammunition, including sophisticated ones, through clandestine/ illegal channels and inducting them secretly into Tripura through a neighbouring country;

(d) establishing and maintaining camps in a neighbouring country for the purpose of safe sanctuary, training, procurement of arms and ammunition;

(e) establishing and maintaining linkages with other Tripura tribal extemist groups for causing and fomenting communal clashes between the tribal and non-tribal communities in Tripura;

And whereas the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the ATTF are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it is an unlawful association;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the All Tripura Tiger Force (ATTF) as an unlawful association;

And whereas the Central Government is also of the opinion that if there is no immediate curb and control, the ATTF will take the opportunity to—

(i) mobilise its cadres for escalating its secessionist, subversive and terrorist/violent activities;

(ii) propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;

(iii) indulge in increased killings of civilians and targeting of Police and Security Forces personnel;

(iv) procure and induct more illegal arms and ammunition from across the international border;

(v) extort and collect huge funds from the public for its activities.

And whereas the Central Government, having regard to the above circumstances, is of the firm opinion that it is necessary to declare the ATTF as an unlawful association with immediate effect; and accordingly in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of the said section 3, the Central Government hereby directs that the notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 9/14/99-NE-I]

G. K. PILLAI, Jt. Secy."

Following the aforesaid notification, Government of India issued a notification dated 28-10-1999 under sub-section 1 of section 5 of the Act constituting this tribunal for the purposes of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring ATTF unlawful association declared as such by the notification of Government of India in Ministry of Home Affairs dated 3-10-1999. The said notification dated 28-10-1999 issued under section 5(1) of the Act reads as under :—

"MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 1999

S.O. 1056(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes "The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Shri Justice R. R. K. Trivedi, Judge of Allahabad High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the All Tripura Tiger Force and National Liberation Front of Tripura, as unlawful associations.

[F. No. 9/14/99-NE-I]

G. K. PILLAI, Jt. Secy."

With the constitution of this tribunal a resume on the aims, objectives and activities of ATTF has also been filed before this tribunal which gives brief history and the origin of the insurgency in the State of Tripura. It is also stated that Tripura is facing low key insurgency for the last 18 years. Though around 20 armed tribal groups have been identified on ground, only two of them ATTF and NLFT are responsible for majority of killings and have some ideological mooring with main activities remaining confined to murders, lootings, extortion, abductions, etc. for monetary gains. Broadly, the entire Tripura Tribal Autonomous District Council (TTADC) area, having dense jungles and pre-dominated by tribals, is effected by violence perpetrated by tribal extremists/miscreants. The violence is mostly targeted against non-tribals. Areas falling out side TTADC, predominated by non-tribals (Bengalis), are much less affected.

Though the over all violence perpetrated by the aforesaid two extremist groups had shown a steady increase since 1993, it came down during 1996. The violence by these two terrorist outfits further went up significantly during 1997, though there was decrease in incidents of violence by other tribal militants. Even though the Government of Tripura has declared more areas to be disturbed areas, the level of violence by ATTF and NLFT remained quite high and became a matter of concern. ATTF and NLFT are the two main organised terrorist groups, with the former demanding a separate State of 'tribal land' and the latter still espousing liberation of Tripura. ATTF was formed in mid 1993, has a membership of around 150 hardcore armed cadres and is led by Ranjit Debbarma. It is active in whole of Dhalal District, Khowal, Kalyanpur, Teliamura, Jirania, Takarjala and Sibhai P. S. areas of West Tripura district; Kailashahar, Fataikaroy and Kanchanpur P. S. areas of North Tripura district; and Biriganj, R. K. Pur, Taidu and Ompi P.S. areas of South Tripura district. The areas covered by 19 police stations in Tripura declared as disturbed areas in February, 1997 and more areas subsequently, has not in any way affected the activities of ATTF. Rather, the outfit has been able to further strengthen its hold in the areas where it is active and has emerged as the major terrorist group in Tripura.

ATTF has training camps/hide outs in Bangladesh and has been using Bangladesh territory for taking shelter after indulging in major incidents of violence. Most of these incidents have been planned in and executed from Bangladesh soil. They have acquired sizeable number of sophisticated weapons and are known to be maintaining close links with other North-East insurgent groups. Recent reports indicate a growing nexus between ATTF and the United Liberation Front of Assam (ULFA) and the Meitei extremists outfits of Manipur. This tribal outfit has shown little hesitation in attacking police/Security forces and innocent non-tribals with a view to forcing them to leave Tripura. Most of the victims of the terrorists are non-tribals, particularly Bengalis. This has caused wide schism between tribals and non-tribals in the State leading a volatile ethnic situation, which gives rise to ethnic clashes on slightest provocation.

The ATTF was first declared as Unlawful Association under the Act by a notification on 3-4-1997. However, this organisation continued its insurgent activities causing serious security concern in Tripura. The ATTF continued its effort to massive mobalisation of funds by unlawful tax collections, extortion and even kidnapping/abduction for ransom. Procurement of arms has also been continued. The justification for fresh notification dated 3-10-1999, which is subject matter of adjudication of this tribunal is for the following reasons :—

(i) Continued espousal of the policy of secession of Tripura from the Indian Union.

(ii) Continued engagement in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India.

(iii) Continued adoption of violence and terror through armed action as means for achieving their objective.

(iv) High levels of extortions and illegal tax collections from the public including businessmen, traders and even Government employees.

(v) The ATTF has developed links with the United Liberation Front of Assam (ULFA) and the Meitei extremist groups of Manipur.

(vi) Continued maintenance of sanctuaries, safe havens and training camps in neighbouring Bangladesh.

(vii) Procurement of large number of sophisticated arms and ammunition through clandestine channels or by snatching from various security forces.

(viii) Attempts to gain membership of the unrepresented Nations and Peoples Organisation with the intention to access and utilise the various international fora for mobilising support towards their ultimate objective of separating Tripura from the Indian Union.

In the resume reasons for necessitating immediate notification have also been indicated. It has been stated that if there is any gap between lapse of earlier notification and issue of fresh notification, this association may take undue advantage of the situation and mobilise their cadre for escalating secessionist, subversive and terrorist/violent activities. It may also provide an opportunity to the leadership of this organisation to openly propagate anti-national activities in collusion with foreign powers inimical to India's security concern. The police and the security forces in such eventuality will find it difficult to detain and prosecute those apprehended by them. It was, therefore, considered necessary to give effect to the notification from the date of its publication in the Offical Gazette.

Immediately on being satisfied after hearing learned Additional Secretary, Shri P. D. Shenoy and on perusal of the resume and other material produced the notice was issued by the order dated 12-11-1999 for service on ATTF, the banned association, in the manner prescribed under the Act and the Rules framed thereunder. In addition to that notice was also required to be served by pasting the same in the office of each District Magistrate and Tehsildar at headquarters of districts and tehsils. The service of notice was also directed by publication, affixation and by broadcasting on radio. In the notice it was also provided that parties may submit their written statements/objections together with the material in support thereof, if any, by registered post to the Registrar of the Tribunal at his address at Allahabad.

On 7-1-2000 the tribunal held its sitting at Allahabad on which date affidavit was filed stating that notices in pursuance of the order dated 12-11-1999 have been widely published as required. After hearing counsel for the parties and on perusal of affidavit and the material annexed therewith the service of the notice was found sufficient. Parties were then directed to file their affidavits and other material in support of their contentions within three weeks.

The tribunal then had its sitting at Allahabad on 4-2-2000. Shri Madhur Prakash, learned counsel for Government of Tripura filed an affidavit of Shri Barun Kumar Sahu. Shri S. C. Misra, learned counsel for Union of India filed affidavit of Ajay Srivastava, Deputy Secretary, (North-East), Government of India. The tribunal then fixed the case for hearing and recording evidence on 6-3-2000 at 10.30 A.M. at Agartala in the State of Tripura. The date of hearing was required to be notified widely by publication, affixation and broadcasting on radio as per rules.

On 6-3-2000 tribunal held its sitting at Agartala. Affidavit was filed by Shri B. C. Bhowmic, Under secretary to Government of Tripura, Home Department to the effect that in pursuance of the order Tribunal dated 4-2-2000 the date of hearing was published in four local newspapers, photocopies of the newspapers were filed along with affidavit. It was also stated in the affidavit that the District Magistrate arranged wide publicity in connection with sitting of tribunal at Agartala on 6-3-2000 at 10.30 A.M.

On 6-3-2000 proceedings of the tribunal commenced at 10.30 A.M. For State of Tripura Shri Madhur Prakash appeared as counsel and Shri S.C. Misra appeared for Union of India. A list of six witnesses was filed by Shri Madhur Prakash in which subsequently, name of one Mati Lal Deb Nath was further added. None appeared for ATTF, the banned organisation. Total six witnesses were examined. The remaining witness was discharged. The statements given by the witnesses on oath are to the following effect :—

(i) P.W. 1, S. S Chaturvedi is posted as S. P. Special Branch, Tripura. He has stated on oath that during course of day to day work of collection of intelligence he has come to know that ATTF is involved in several secessionist activities. The ATTF has published its own constitution and many other news letters which are anti-Indian in nature. The ATTF has resorted to mass killing and attack on secutity forces in furtherance of its objective. ATTF is also involved in extortion, kidnapping and procurement of arms for its anti-Indian activities. It gave call to boycott 26th January and 15th August, which are Republic Day and Independence Day respectively. During interrogation of some of the ATTF extremist it has been revealed that ATTF has been maintaining camps in Bangladesh and also carrying its activities from across the border. It is inciting communal hatred between tribal and non-tribal communities.

(ii) P.W. 2, Manoj Kumar is continuing as District Magistrate and Collector of West Tripura, Agartala. He is continuing on this post since January, 1999. He has stated that during the course of his incumbency he came across various activities of ATTF and their aims and objectives. The ATTF is indulged in secessionist and subversive activities. It is also questioning the sovereignty of the State. Its objective is to set up an independent tribal land, which is evident from the constitution and other publication like 'Choba'. It does not recognise the Constitution of India. It is attempting to set up parallel administrative machinery on the lines of the Government and also maintaining the militant outfits having designations similar to Indian army. It persuaded people not to participate festivals like Independence Day and Republic Day. It also tried to disrupt recent parliamentary election. In order to achieve its objective it is indulged in attack on security forces and looting of arms and ammunitions, senseless violence against civilians, kidnapping, extortions, procurement of sophisticated arms and ammunitions. Its activities are causing communal disharmony between tribals and non-tribals. Because of its activities there has been large shifting of population especially belonging to non-tribal communities. On 8-1-2000 this outfit attacked a vehicle going to Asharambari killing five persons and injuring another five. Similarly, on 14-11-1999, at Panchabati they opened indiscriminate firing in which 18 persons were killed. Communal tension is prevailing at the adjoining areas. The ATTF is still engaged in subversive and unlawful activities.

(iii) P.W. 3, Shri Puneet Rastogi, Additional S.P. (Urban), West Tripura. He has stated that main of ATTF is to secede Tripura from Indian Union and to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India. In order to achieve this they are resorting to unlawful and violent activities like collection of subscriptions, ransom and are attempting to run parallel administrative set up. They often indulge in senseless killing of innocent people including women and children. West Tripura Disttict has international border of 263 kms. with Bangladesh and there are five camps of ATTF in Bangladesh. So they are carrying out their activities from accross the border. As per District Crime Records 71 extremists incidents were committed by this militant outfits in 1998 out of which 19 were of murders and 25 were of kidnapping. In 1999, 62 extermists' incidents were committed out of which 10 were of murders and 25 kidnapping. On 3.1.1999 a group of ATTF ambushed a party of 14 MLI Jawans in which one ATTF extermist was killed and 2 AK-56 rifles and other ammunitions were recovered at Lefunga under Sidhai P.S. On 29-3-1999 ATTF extermists killed two and injured 6 persons at Balidhum under Jirania Police Station. On 21-6-1999 ATTF extermists kidnapped five persons from Kunjaban under Kalyanpur Police Station. ATTF is spreading feeling of dis-integrity among people by publication of literature under the name of Monthly news letter 'Choba'.

(iv) P.W.4, Manik Lal Mazumdar is posted as Additional S.P. (C.I.D.), Tripura, Agartala. He has stated that C.I.D. is investigating case No. 38/1998 registered against ATTF. The Investigating Officer of this

case is Arun Kanti Roy of C.I.D. Organisation. During the course of investigation he being supervisory authority came across and seized constitution and flag of ATTF and other incriminating documents. From the evidence collected it is clear that ATTF is indulged in subversive and unlawful activities with the object to establish independent Tripura State. They are killing and kidnapping civilians in order to terrorise people so that they may pay subscription. They are looting arms and ammunitions and killing security forces. The provisions of the Act are attracted to declare ATTF as unlawful association.

(v) P.W.5, Arun Kanti Roy is posted as Inspector C.I.D. in Tripura. During investigation of case No. 38 of 1998 lodged against ATTF persons at police station Agartala he learnt that Ranjit Deb Barma, Tikendra Deb Barma, Chitta Deb Barma and other members formed organisation known as ATTF. They intended to separate State of Tripura from Union of India. The subversive and violent activities are undertaken to terrorise people to pay money. ATTF has established linkage with ULFA and Bodo of Assam and PLA of Manipur. They spread misinformation to malign Indian security forces. They obstruct development activities. In course of investigation he referred the statements of witnesses, confessional statements of accused persons and seized documents including liflets, pamphlet, booklets and constitution of ATTF. They are rising funds by killing innocent persons and creating chaos. The witness also gave details about some of the incidents.

(vi) P.W.6, Matilal Deb Nath is witness from public. He has stated that he used to live in Urabari, total population of which was about 250. In the year 1995 persons belonging to ATTF came to his village and demanded money and when money was not paid they killed five persons. The village persons sought help from Tripura State Rifles. The security personnel camped in the village for nine months. When they left village the ATTF persons again attacked the village and demanded money. When money was not paid they set on fire the entire village. Presently, he is residing temporarily in a school building. He further stated that ATTF wants separate independent coutry from Union of India.

From perusal of the statement of the aforesaid six witnesses and on perusal of affidavits filed and on perusal of constitution of ATTF and subscription notices and other documents it appears that ATTF's objective is the formation of a separate nation of seven states comprising Tripura, Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, Meghalay and Arunachal Pradesh. From the material on record especially constitution of ATTF it is clear that ATTF is headed by Ranjit Deb Barma. Its area of operation includes areas in whole Dhalai district; Khowai, Kalyanpur, Teliamura, Jirania, Takarjala and Sibhal P.S. areas of West Tripura district; Kailashahar, Fataikaroy and Kanchanpur P.S. areas of North Tripura district; and Biriganj, R.K. Pur, Taidu and Ompi P.S. areas of South Tripura district. They possess sophisticated firearms procured from illegal sources. It has also proved from the material on record that ATTF is mobilising its members for increasing secessionist, subversive and violent activities. They are also indulging in propagating anti national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity. The organisation is indulging in killing of civilians, resorting to looting, extortions and other criminal acts and thereby trying to create a climate of lawlessness.

Sections 2 (f) and 2(g) of the Act define "unlawful activity" and "unlawful association", which read as under :—

"(1) "unlawful activity", in relation to an individual or association, means any action taken by such individual or association (whether by committing an act or by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise)—

(iii) which is intended, or supports any claim, to bring about, on any ground whatsoever, the cession of a part of the territory of India or India from the Union, or which incites any individual or group of individuals to being about such cession or secession ;

(iv) which disclaims, questions, disrupts or is intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India ;

(g) "unlawful association" means any association—

(i) which has for its object any unlawful activity, or which encourages or aids persons to undertake any unlawful activity or of which the members undertake such activity."

A perusal of the evidence produced on record and arguments advanced by the counsel for the State Government as well as Central Government proves that ATTF is engaged in subversive secessionist and violent activites and the said association has established linkage with other unlawful association. It is further proved that ATTF is resorting to the acts of killing of civilians and personal belonging to police forces, extortion of funds from public and traders in Tripura for procuring arms and ammunitions by way of illegal channels and inducting them secretly in Tripura through a neighbouring country. The aims and objects of the said ATTF are to secede from India and to establish a sovereign state of ATTF.

It is further proved from material on record that if ATTF is allowed to continue with its activities, it will encourage insurgency and unlawful activities of the association. The evidence adduced has not been controverted by any other material and it has been firmly established that ATTF is engaged in various violent activities. They intend to disrupt the sovereignty and integrity of India and if they are not checked, the unlawful activity will incresae. The ATTF has been advocating and practising separatism and is following secessionist policies which amount to unlawful activity as defined under section 2(f) of the Act.

In view of the above, I am satisfied that there is sufficient cause for declaring All Tripura Tiger Force (ATTF), unlawful association. Consequently, the declaration made by the Central Government vide notification dated 3rd October, 1999 under sub-section (1) of section 3 of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 is hereby confirmed.

R. K TRIVEDI

Dated : March, 25, 2000

TRIBUNAL

ALLAHABAD

Unlawful Activities (Prevention) Tribunal, Allahabad

[No. 9/14/99-NE-I]

G. K. PILLAI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.